ffice of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
...rakhand Power Corporation Ltd.
132 K.V Sub-Station Campus, Bhadelwara
Pithoragarh – 262501
E-mail - cgrfpithoragarh@gmail.com
Phon. No – 05964-297743

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
132 के0वी0 उपसंस्थान परिसर
भदेलवाड़ा, पिथौरागढ़ – 262501
दूरभाष – 05964– 297743

वाद संख्या – 175/2023–24 दिनांक 18.07.2023

श्री जमन सिंह पुत्र स्व0 श्री गोविंद सिंह
ग्राम – राडी खूटी
जिला – पिथौरागढ़। परिवादी

बनाम्

अधिशासी अभियंता, उ0पा0का0लि0
विद्युत वितरण खंड पिथौरागढ़। विपक्षी

कोरम

आर0एस0 गुंज्याल तकनीकी सदस्य
संतोष भट्ट उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

पत्रावली प्रस्तुत। परिवादी श्री जमन सिंह पुत्र स्व श्री गोविंद सिंह ग्राम राडी खूटी, जिला पिथौरागढ़ ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के समक्ष उपस्थित होकर लिखित शिकायत दर्ज कराई कि उनका बिजली का कनेक्शन PT21730043405 मेरे पिता स्व श्री गोविंद सिंह निवासी राडी खूटी के नाम दर्ज है। उनके द्वारा समय समय पर बिल भुगतान किया जाता है। दिनांक 23.11.2023 को मेरे द्वारा बिजली का बिल रुपये 5000.00 तथा अतिरिक्त धरोहर धनराशि रुपये 464.00 जमा की गई। इसकी रसीद भी उकने पास उपलब्ध है। उनका कनेक्शन 1 किलोवाट भार का स्वीकृत है। जिसका फिक्सचार्ज 60 रुपये प्रतिमाह आना चाहिए। लेकिन विभाग कभी 120 तो कभी 240 ले रहा है, जो गलत है। परिवादी ने यह भी कथन किया कि उनके पिता के न्धिन के बाद विद्युत कनेक्शन का वह एक मात्र उपयोगकर्ता है। ऐसे में कनेक्शन उनके नाम ट्रांसफर किया जाए। परिवादी ने उक्त शिकायत का समाधान का अनुरोध मंच से किया है। मंच ने शिकायत को परिवाद के रूप मे दर्ज कर कार्यालय पत्रांक 10/उ0शि0नि0मं0/पिथौरागढ़ दिनांक 15.04.2023 के माध्यम से विपक्षी विभाग को नोटिस जारी कर कृत कार्यवाही से मंच को अवगत कराने को कहा गया। इस पर विपक्षी विभाग ने कार्यालय पत्रांक 200/वि0वि0खं0(पि0)/cgrf दिनांक 20.04.2023 को अपना जवाब मंच को प्रेषित कर लिखित कथन किया कि विद्युत संयोजन संख्या PT21730043405 श्री गोविंद सिंह पुत्र श्री केदार सिंह, विद्युत भार 1 किलोवाट दिनांक 19.01.1996 को निर्गत किया गया था। उपभोक्ता को उनके उपयोग के आधार पर मीटर्ड यूनिट के बिल निर्गत किए जा रहे हैं। उपभोक्ता के द्वारा अंतिम बार दिनांक 23.11.2022 को विद्युत बिल का भुगतान किया गया है। विपक्षी ने फिक्सचार्ज के बारे में मंच को अवगत कराया कि वर्ष 2021 से 2022–23 में माननीय उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों के अनुरूप फिक्सचार्ज लिया जाता है। इसके अतिरिक्त मुख्य अभियंता वाणिज्य उपाकालि देहरादून के कार्यालय पत्रांक 315/यूपीसीएल/ आरएम/एफ–4, दिनांक 21.01.2022 को निर्गत कार्यालय ज्ञाप के अनुसार फिक्सचार्ज एवं डिमांड चार्ज भी उपभोग की अवधि के अनुरूप उपभोक्ता के बिल में चार्ज किया गया है। इसके अलावा विपक्षी ने अपने जवाब में

कथन किया कि उपभोक्ता ने विद्युत बिल में नाम परिवर्तन के सम्बंध में आज दिनांक तक खण्ड एवं उपखंड कार्यालय में माननीय उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता, नए नकनेक्शन जारी करने तथा सम्बंधित मामले) विनियम 2020 के उपखंड 4.3.1 में उपभोक्ता का नाम परिवर्तन, संपत्ति के स्वामित्व में परिवर्तन और अधिभोग में परिवर्तन को लेकर प्रदत्त नियमानुसार आवेदन नहीं किया गया है। उपभोक्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर (Standards of Performance) Regulation&2022 के Schedule–I (Guaranteed Standards of Performance) के बिंदु संख्या 5 Transfer of Consumer's Connection and Conversion of Service में प्रदत्त समयावधि के भीतर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। विपक्षी ने उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन में वाद खारिज करने का अनुरोध मंच से किया है। इस पर मंच द्वारा कार्यालय पत्रांक 20/उ0शि0नि0मं0/पिथौरागढ़ दिनांक 27.04.2023 के माध्यम से परिवादी को विपक्षी के जवाब से अवगत कराते हुए अपनी शिकायत के समर्थन में लिखित और मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय दिया। इस पर परिवादी ने दिनांक 10.05.2023 को मंच में उपस्थित होकर लिखित कथन किया है कि वह विपक्षी के जवाब से संतुष्ट नहीं है। उनसे अधिक धनराशि और फिक्स चार्ज वसूला जा रहा है। साथ ही कहा कि उन्होंने संयोजन परिवर्तित करने संबंधी सभी दस्तावेज विपक्षी के कार्यालय में जमा कर दिए है। इसका प्रमाण परिवादी ने विपक्षी को 09.05.2023 को लिखा गया पत्र और उसमें संलग्न खतौनी की नकल आधार कार्ड और मृत प्रमाण पत्र का उल्लेख किया है। इसके बाद मंच ने कार्यालय पत्रांक 30/उ0शि0नि0मं0/पिथौरागढ़ दिनांक 11.05.2023 के माध्यम से विपक्षी को पत्र प्रेषित कर उक्त प्रकरण मे लिखित मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय दिया। इस पर विपक्षी विभाग ने कार्यालय पत्रांक 505/वि0वि0खं0(पि0)/CGRF दिनांक 20.05.2023 के माध्यम से अवगत कराया कि उक्त वाद पर लिखित उत्तर मय साक्ष्य के साथ कार्यालय पत्रांक 200/वि0वि0खं0(पि0)/CGRF दिनांक 20.04.2023 को प्रेषित किया जा चुका है, तथा मंच से अनुरोध किया है कि उक्त पत्र को ही साक्ष्य समझा जाए। प्रस्तुत प्रकरण में मंच द्वारा सुनवाई करना उचित समझा और मामले की सुनवाई को 30.05.2023 की तिथि तय की गयी। इसकी सूचना परिवादी और विपक्षी को कार्यालय पत्रांक 36/उ0शि0नि0मं0/पिथौरागढ़ के माध्यम से दी गयी। सुनवाई की तय तिथि को विपक्षी उपस्थित परिवादी ने दूरभाष माध्यम से स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देते हुए एक अन्य तिथि याचित की। इस पर मंच ने अगली सुनवाई 02.06.2023 को नियत की गयी। इसकी सूचना उभयपक्षों को दूरभाष माध्यम से दी गयी। सुनवाई की तय तिथि पर आज उभयपक्ष आज अनुपस्थित, न्यायहित में सुनवाई हेतु अन्य तिथि 07.06.2023 को नियत कर कार्यालय पत्रांक 91/उ0शि0नि0मं0/पिथौरागढ़ दिनांक 05.06.2023 के माध्यम से उभयपक्षों को सूचना दी गयी। दिनांक 07.06.2023 व 13.06.2023 को कोरम पूर्ण न होने के कारण सुनवाई स्थगित की गयी। दिनांक 14.06.2023 को मामले में पुनः सुनवाई की गयी उभयपक्ष अनुपस्थित होने के कारण न्यायहीत में सुनवाई हेतु एक अन्तिम तिथि 26.06.2023 नियत की गयी। पुनः सुनवाई की तय तिथि पर आज विपक्षी उपस्थित परिवादी को बार–बार सूचना देने के बाद भी सुनवाई में अनुपस्थित रहे। तत्पश्चात् परिवादी के सुनवाई के अवसर को समाप्त कर मंच ने मामले में निस्तारण का निर्णय लिया।

मंच द्वारा सुनवाई के बाद पत्रावली का अवलोकन कर मौजूद साक्ष्य का गहन अध्ययन किया। चूंकि प्रस्तुत परिवाद में परिवादी ने पहली शिकायत अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा करने के बावजूद विपक्षी द्वारा नोटिस भेजे जाने को योजित की। इस पर विपक्षी ने मंच को परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री की छायाप्रति प्रेषित कर उसमें तय तिथि को ही परिवादी द्वारा जमा की गई 464.00 रुपये की अतिरिक्त धरोहर राशि दर्ज करना दर्शाया गया। इससे परिवादी की पहली शिकायत का विपक्षी ने समाधान कर दिया है। परिवादी की दूसरी शिकायत ज्यादा फिक्सचार्ज लेने को लेकर की गई है। इस पर विपक्षी ने लिखित कथन किया कि माननीय विद्युत नियामक आयोग के दिशा निर्देश एवं उपाकालि0 के द्वारा जारी आदेशों के अनुसार फिक्सचार्ज एवं डिमांड चार्ज नियमानुसार लिए गए हैं। इसके प्रमाण के रूप में विपक्षी ने टैरिफ ऑर्डर और उपाकालि0 का फिक्सचार्ज को लेकर जारी कार्यालय ज्ञाप की छायाप्रति मंच को प्रेषित की है। उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में सुनवाई के कई अवसर देने के बावजूद भी न तो परिवादी और न ही उसका कोई प्रतिनिधि मंच में उपस्थित हुआ। इससे यह लगता है कि परिवादी विपक्षी की कार्यवाही से या तो संतुष्ट या फिर अपनी शिकायत के प्रति जानबूझकर रुचि नहीं नहीं ले रहा है। ऐसे में वाद को लंबित रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। मामले में निम्न आदेश दिया जाता है।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद (वाद संख्या 175/2023–24) में विपक्षी विभाग ने समय पर अतिरिक्त धरोहर राशि परिवादी के खाते में जमा कर दिए जाने के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि यदि समय पर परिवादी संयोजन परिवर्तित करने सम्बधी सभी वांछित दस्तावेज जमा कर देता तो वह परिवादी को नियमानुसार संयोजन परिवर्तित करें। उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी भी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं। पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य तकनीकी
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

(संतोष भट्ट)
सदस्य उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

fice of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
132 K.V Sub-Station Campus, Bhadelwara
Pithoragarh – 262501
E-mail - cgrfpithoragarh@gmail.com
Phon. No – 05964-297743

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
132 के०वी० उपसंस्थान परिसर
भदेलवाड़ा, पिथौरागढ़ – 262501
दूरभाष – 05964– 297743

17

दिनांक 11.07.2023

वाद संख्या – 176/2022–23

श्री गणेश सिंह s/o श्री हरमल सिंह
ग्राम – मिनालगांव पो० मुनस्यारी,
जिला – पिथौरागढ़। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता, उ०पा०का०लि०
विद्युत वितरण खंड, धारचूला। विपक्षी

कोरम

आर०एस० गुंज्याल तकनीकी सदस्य
संतोष भट्ट उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

पत्रावली प्रस्तुत। परिवादी श्री गणेश सिंह s/o श्री हरमल सिंह, ग्राम – मिनालगांव पो० मुनस्यारी, जिला – पिथौरागढ़ ने ई–मेल माध्यम से एक शिकायती पत्र प्रेषित कर लिखित कथन किया कि उनकी माता श्रीमती मालती देवी के नाम जारी विद्युत कनेक्शन में विद्युत बिल अधिक आने की जानकारी विद्युत विभाग के लाईन मैन को दी। जिस पर विभाग द्वारा पूछा गया तो उनके द्वारा कहा गया कि लाईन मैन द्वारा कार्यालय को कोई सूचना नहीं दी गयी। जिस पर परिवादी ने विभाग द्वारा गुमराह करने का आरोप लगाया। परिवादी ने उक्त मीटर की जांच कराकर बिल में संशोधन करने का निवेदन किया है। मंच ने उक्त शिकायत को वाद के रूप में दर्ज कर कार्यालय पत्रांक 11/उ०शि०नि०मं०/पिथौरागढ़, दिनांक 18.04.2023 के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु विपक्षी को नोटिस जारी कर कृत कार्यवाही से मंच को अवगत कराने को कहा। नियत तिथि को विपक्षी विभाग ने कार्यालय पत्रांक 72/वि०वि०ख०(धा०) दिनांक 26.04.2023 के माध्यम से उत्तर प्रेषित कर अवगत कराया कि संयोजन संख्या DH1M102059507 (श्रीमती मालती देवी) के लेजर के अनुसार मापक संख्या P01136 लगा हुआ है। जबकि किसी उपभोक्ता से वार्ता करने पर Whatsapp के माध्यम से भेजी गयी मीटर की फोटो में मापक PDE53338(U426394) लगा हुआ है, जिससे प्रतीत होता है कि उपभोक्ता का मापक बदला हुआ है। उपभोक्ता के मापक बदलने की तिथि हेतु विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला, पिथौरागढ़ एवं उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड को पत्राचार किया जा रहा है। मापक बदलने की सिलिंग रिर्पोट/वास्तविक तिथि प्राप्त होने पर उपभोक्ता के बिल में सुधार की कार्यवाही की जायेगी। तत्पश्चात् मंच द्वारा परिवादी को कार्यालय पत्रांक 34/उ०शि०नि०मं०/पिथौरागढ़, दिनांक 20.05.2023 के माध्यम से अपनी शिकायत के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। साथ ही विपक्षी को भी कार्यालय पत्रांक 85/उ०शि०नि०मं०/पिथौरागढ़, दिनांक 30.05.2023 के माध्यम से मामले की कंज्यूमर हिस्ट्री प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। जिसके क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री मंच के समक्ष प्रस्तुत की गयी। साथ ही परिवादी द्वारा भी अपना लिखित साक्ष्य मंच के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसमें परिवादी ने लिखित कथन किया कि विद्युत विभाग द्वारा उनकी शिकायत करने के बाद बिना रीडिंग का बिल 5137 रूपये का भेजा गया है, जो कतई गलत है। विद्युत विभाग द्वारा बिल भेजने में मनमानी की जा रही है, हमारा परिवार लगातार घर पर ही रहता है। किन्तु विभाग द्वारा भेजे गये बिल के बराबर खपत नहीं है। परिवादी द्वारा विभाग द्वारा भेजे गये भारी भरकम बिल को ठीक कर दिए

जाने का निवेदन किया है व उक्त विद्युत बिल की छायाप्रति मंच के समक्ष प्रेषित की। तत्पश्चात् विपक्षी विभाग को मंच द्वारा कार्यालय पत्रांक 93/उ0शि0नि0मं0/पिथौ0 दिनांक 06.06.2023 के माध्यम से अपने उत्तर के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। इसी दौरान विपक्षी विभाग को कार्यालय पत्रांक 135/उ0शि0नि0मं0/पिथौ0 दिनांक 20.06.2023 के माध्यम से अपने उत्तर के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने के साथ–साथ कैलकुलेशन हिस्ट्री भी आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। किन्तु इस पर विपक्षी विभाग को पर्याप्त समय देने के बावजूद भी उन्होंने कोई साक्ष्य प्रस्तुत करना या फिर अपना कोई मंतव्य पत्राचार/दूरभाष माध्यम से मंच को देना उचित नहीं समझा। किन्तु इसी दौरान परिवादी ने व्हाटसएप माध्यम से मंच को अपना लिखित पत्र प्रेषित कर कथन किया कि उनकी समस्या का निराकरण हो चुका है। उनके द्वारा बकाया विद्युत बिल का भुगतान कर दिया गया है। साथ ही भुगतान किए गये विद्युत बिल की भुगतान पावती की छायाप्रति मंच को प्रेषित की है।

मामले की पत्रावली का सम्यक परिशीलन कर पत्रावली में उपलब्ध कागजातों एवं साक्ष्यों का गहन अध्ययन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी का बिल संशोधित कर रू0 865.00 का OBR ADJUSTMENT दे दिया गया है। साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 03.07.2023 को व्हाटसएप माध्यम से अपना पत्र प्रेषित कर लिखित कथन किया कि उनके द्वारा की गयी शिकायत का समाधान हो चुका है। साथ ही बकाया विद्युत बिल रू0 3240.00 का भुगतान कर, भुगतान पावती मंच के समक्ष प्रस्तुत की है। उक्त परिवाद में मंच ने यह पाया कि विपक्षी विभाग ने परिवाद को लेकर मांगी गयी जानकारियां/विवरण ससमय उपलब्ध नहीं कराया है। जिसका नतीजा रहा कि परिवाद लम्बित रहा। मंच विपक्षी विभाग को चेतावनी देता है कि वह भविष्य में परिवादी को वास्तविक खपत के सही बिल निर्गत करें। इसके अलावा मंच द्वारा परिवादों को लेकर मांगी जानी वाली सूचनाओं एवं तथ्यात्मक विवरण समय पर उपलब्ध करायें, ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिल सकें। उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर स्पष्ट है कि परिवादी की शिकायत का समाधान विपक्षी द्वारा कर दिया गया है। ऐसे में वाद को लम्बित रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। उक्त आधार पर वाद निस्तारित किए जाने योग्य है, तथा निम्न आदेश पारित किया जाता है :–

आदेश

प्रस्तुत वाद (वाद संख्या 176/2023–24) में परिवादी की शिकायत का निराकरण विपक्षी द्वारा कर दिए जाने व परिवादी द्वारा भी इसकी पुष्टि कर दिए जाने के आधार पर प्रस्तुत वाद निस्तारित किया जाता है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह परिवादी को भविष्य में वास्तविक खपत के सही बिल निर्गत करें। उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी भी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट न होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते है। **पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।**

(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य तकनीकी
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

(संतोष भट्ट)
सदस्य उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
132 K.V Sub-Station Campus, Bhadelwara
Pithoragarh – 262501
E-mail - cgrfpithoragarh@gmail.com
Phon. No – 05964-297743

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
132 के०वी० उपसंस्थान परिसर
भदेलवाड़ा, पिथौरागढ़ – 262501
दूरभाष – 05964– 297743

वाद संख्या – 177 / 2023–24 दिनांक 11.07.2023

श्री भुवन चन्द्र जोशी एवं समस्त उपभोक्ता परिवार,

ग्राम – तोली ढाणा तोक

जिला – पिथौरागढ़। परिवादी

बनाम्

अधिशासी अभियंता, उ०पा०का०लि०

विद्युत वितरण खंड पिथौरागढ़। विपक्षी

कोरम

आर०एस० गुंज्याल तकनीकी सदस्य

संतोष भट्ट उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

पत्रावली प्रस्तुत। परिवादी भुवनचंद्र जोशी एवं समस्त उपभोक्ता परिवार तोली ढाणा, जनपद पिथौरागढ़ ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में उपस्थित होकर शिकायत दी कि उनका परिवार तोली गांव से करीब 2 किमी दूर ढाणा तोक में रहता है। उनके आसपास पांच परिवार और रहते हैं, जो लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे हैं। केवल बिजली की रोशनी के लिए तो काम चल जाता है, लेकिन अन्य विद्युत उपकरण फ्रीज, गीजर या ड्रिल मशीन काम नहीं कर पाती है। विशेषकर शीतकाल में यह समस्या ज्यादा गंभीर हो जाती है। परिवादी ने अपनी शिकायत में कहा कि बिजली की तारें कुछ स्थानों पर चीड़ के पेड़ों से संपर्क में तथा दो बिजली के पोल भी काफी तिरछी हालत में हैं। यदि इन्हें समय रहते ठीक न किया गया तो दुर्घटना हो सकती है। परिवादी ने अपनी शिकायत में यह भी उल्लेख किया कि जंगली इलाका होने के कारण उनके परिसरों में जंगली जानवरों का भय बना रहता है। विभाग के पास यदि एक दो जगह पोल लाइट लगाने की व्यवस्था हो तो उपभोक्ता विभाग के प्रति विशेष तौर पर आभारी रहेंगे। परिवादी गणों ने मंच से उक्त समस्याओं का समाधान करने का अनुरोध किया है। मंच ने उक्त शिकायत को परिवाद के रूप में दर्ज कर कार्यालय पत्रांक 24 / उ0शि0नि0मं0 / पिथौरागढ़ दिनांक 02.05.2023 को आवश्यक कार्यवाही के लिए विपक्षी को नोटिस जारी कर कृत कार्यवाही से मंच को अवगत कराने को कहा। विपक्षी ने अपना जवाब कार्यालय पत्रांक 462 / वि0वि0ख0(पि0) / CGRF, दिनांक 17.05.2023 को मंच को प्रेषित किया। विपक्षी ने अपने जवाब में मंच को अवगत कराया कि परिवादी भुवनचन्द्र जोशी की तीन बिंदुओं पर की गई शिकायत के क्रम में मंच को बिंदुवार अवगत कराया कि—

1 – उपभोक्ता का लो वोल्टेज को लेकर कथन गलत है। विभाग ने 09.05.2023 प्रातः लगभग 08:00 बजे ग्राम तोली के ढाणा तोक में उपभोक्ताओं के परिसर में स्थापित मीटर की जांच की गई, जिसमें वोल्टेज नियमानुसार एवं उचित पाई गई। इसका प्रमाण विपक्षी ने उपभोक्ताओं के घर पर लगे विद्युत मापक में दर्ज वोल्टेज की फोटो की छायाप्रति संलग्न कर मंच को प्रेषित की है। साथ ही निम्न उपभोक्ताओं के घर पर लगे विद्युत मापक में प्रवाहित वोल्टेज का उल्लेख किया है। जो इस प्रकार है।

2 – विद्युत तार कुछ स्थानों पर पेड़ों के संपर्क में विद्युत तारों के आने एवं विद्युत पोल के टेढ़े होने सम्बंधी सूचना के
सम्बंध मे अवगत कराया कि UERC(Guidelines for Appointment of Member and Procedure to be followed by
the forum for Redressal of Grievances of the consumers) Regulations, 2019 के क्रम में उपरोक्त शिकायत मंच
के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। हालांकि विपक्षी द्वारा उक्त शिकायत पर नियमानुसार कार्यवाही हेतु उपखंड
अधिकारी को पृथक से निर्देशित किया जा चुका है। इसका प्रमाण विपक्षी ने उपखंड अधिकारी को पत्रांक
456 / वि0वि0खं0(पि0) / दिनांक 16.05.2023 को भेजे गए पत्र की छायाप्रति के रूप में संलग्न की गई। इस पत्र में विपक्षी
ने उपखंड अधिकारी को स्थल का निरीक्षण कर विद्युत लाइन के संपर्क में आने वाले पेड़ों की शाखाओं की लॉपिंग
चॉपिंग करवाने तथा टेढ़े हुए पोल को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं।

3 – उपभोक्तागणों की तीसरी शिकायत स्ट्रीट लाइट / पोल लाइट लगाए जाने के सम्बंध में अवगत कराया कि UERC
(The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulation 2020 के तहत
आवेदन किए जाने पर स्ट्रीट लाइट हेतु कार्यवाही की जा सकेगी। उक्त तथ्यों के आधार पर विपक्षी ने मंच से वाद
निरस्त करने का अनुरोध किया है। इस पर मंच ने कार्यालय पत्रांक 37 / उ0शि0नि0मं0 / पिथौरागढ़, दिनांक 25.05.2023
के माध्यम से परिवादी को विपक्षी के जवाब और कार्यवाही से अवगत कराते हुए अपनी शिकायत के समर्थन में दिनांक
01.06.2023 तक मंच को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय दिया। परिवादी ने तय समय पर अपनी शिकायत के समर्थन में
लिखित पत्र मंच के समक्ष प्रस्तुत कर शिकायत का दोहराव कर निस्तारण का अनुरोध किया है। मंच ने विपक्षी को
कार्यालय पत्रांक 87 / उ0शि0नि0म0 / पिथौरागढ़, दिनांक 02.06.2023 को पुनः पत्र भेज अपने जवाब के समर्थन में
लिखित और मौखिक साक्ष्य 09.06.2023 तक प्रस्तुत करने का समय दिया। इस पर विपक्षी ने अपने पत्रांक
758 / वि0वि0खं0(पि0) / CGRF दिनांक 08.06.2023 को लिखित कथन किया कि उनका पूर्व में भेजा गया जवाब ही साक्ष्य
माना जाए। मंच ने परिवादी और विपक्षी के साक्ष्यों को प्राप्त करने पर परिवाद में सुनवाई जरूरी समझते हुए कार्यालय
पत्रांक 96 / उ0शि0नि0म0 / पिथौरागढ़, दिनांक 15.06.2023 के माध्यम से विपक्षी और परिवादी को दिनांक 17.06.2023
को सुनवाई में भाग लेने की सूचना दी गई। उक्त तिथि को कोरम पूर्ण न होने पर सुनवाई स्थगित करते हुए सुनवाई
को एक और तिथि दिनांक 26.06.2023 की तिथि तय की गई।

आज सुनवाई की तय तिथि पर विपक्षी उपस्थित, परिवादी को वर्चुअल माध्यम (वीडियो कॉलिंग) से सुना गया।
परिवादी को विपक्षी के जवाब से अवगत कराया गया। सुनवाई के दौरान विपक्षी ने कहा कि उपभोक्ताओं की
लो–वोल्टेज वाली समस्या का मौके पर जाकर अलग मापकों में प्रवाहित विद्युत प्रवाह को मापा गया, जो मानकों के अनुरूप
मिली है। इसके अलावा विद्युत लाइन को छू रहे पेड़ों की लोपिंग चॉपिंग तथा तिरछे विद्युत पोल को व्यवस्थित करने के
निर्देश उपखंड अधिकारी को दिए गए हैं। विपक्षी ने सुनवाई के दौरान मंच में कथन किया कि समय पर उक्त समस्या
का समाधान विभाग कर देगा। जबकि स्ट्रीट लाइट को लेकर विपक्षी ने कथन किया है कि नियमानुसार औपचारिकता
पूरी करने पर समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। इस पर परिवादी ने वर्चुअल माध्यम से मंच के समक्ष विपक्षी की
कार्यवाही पर संतुष्टि जाहिर की। साथ ही लिखित में मंच को सन्तुष्टि पत्र भेजा। मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य
का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। प्रस्तुत परिवाद में परिवादी गणों ने लो वोल्टेज, लोपिंग चॉपिंग, तिरछे विद्युत
पोल और स्ट्रीट लाइट को लेकर वाद योजित किया है। चूंकि लो वोल्टेज की समस्या को विपक्षी ने उक्त सभी
उपभोक्ताओं के मापक का परीक्षण कर मानक के अनुसार विद्युत प्रवाह पायी गई। इसका प्रमाण मापक में प्रवाहित विद्युत
प्रवाह की छायाप्रति मंच के समक्ष पेश की गई है। साथ ही उपभोक्ताओं ने भी विपक्षी की इस कार्यवाही पर संतुष्टि
जाहिर की। इससे स्पष्ट है कि उक्त समस्या का विपक्षी ने समाधान कर दिया है। मंच का मत है कि यदि भविष्य में
उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज की समस्या से जूझना पड़ा तो वह अपनी शिकायत करने और लो वोल्टेज में सुधार को
स्वतंत्र हैं। इसके लिए परिवादी गण विपक्षी और मंच में अपनी शिकायत दुबारा देने के लिए स्वतंत्र है। परिवादी गणों की
विद्युत पोल तिरछे और लोपिंग चॉपिंग से जुड़ी शिकायतें मंच के क्षेत्राधिकार में नहीं आती हैं। ऐसे में उक्त शिकायतों
पर मंच कोई आदेश पारित नहीं कर सकता है। जबकि स्ट्रीट लाईट से जुड़ी शिकायत को लेकर यदि परिवादी
नियमानुसार आवेदन करता है तो विपक्षी समय पर उसका निदान करें। ऐसे में विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि
वह अपने स्तर पर उक्त शिकायतों पर नियमानुसार कार्यवही करें। उपरोक्त परिचर्चा के बाद उक्त वाद को आगे ले
जाने का कोई औचित्य नहीं है। परिवाद में मंच निम्न आदेश पारित करता है।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद में परिवादी गणों की लो वोल्टेज सम्बंधी शिकायत का विपक्षी विभाग ने समाधान कर दिए जाने पर वाद निस्तारित किया जाता है। परिवादी यदि स्ट्रीट लाईट के लिए आवेदन करता है तो विपक्षी विभाग परिवादी के स्ट्रीट लाईट संयोजन के आवेदन पर नियमानुसार कार्यवाही करें। उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भी विद्युत लोकपाल, 80 वसन्तविहार विहार में अपील कर सकते हैं।

(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य तकनीकी
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

(संतोष भट्ट)
सदस्य उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
132 K.V Sub-Station Campus, Bhadelwara
Pithoragarh – 262501
E-mail - cgrfpithoragarh@gmail.com
Phon. No – 05964-297743

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
132 के0वी0 उपसंस्थान परिसर
भदेलवाड़ा, पिथौरागढ़ – 262501
दूरभाष – 05964– 297743

वाद संख्या – 183/2023–24 दिनांक / / .07.2023

श्रीमती पुष्पा देवी,
ग्राम – कुशैल, पो0 रसैपाटा
जिला – पिथौरागढ़। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता, उ0पा0का0लि0
विद्युत वितरण खंड पिथौरागढ़। विपक्षी

कोरम
आर0एस0 गुंज्याल तकनीकी सदस्य
संतोष भट्ट उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

पत्रावली प्रस्तुत। परिवादी श्रीमती पुष्पा देवी, ग्राम – कुशैल, पो0 रसैपाटा जिला पिथौरागढ़ ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच पिथौरागढ़ के देवलथल में आयोजित कैम्प में उपस्थित होकर एक शिकायती पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने लिखित कथन किया कि उनका कनेक्शन (PT24246159569) है, जो कि पुष्पा देवी के नाम है। उनके घर की वोल्टेज बहुत कम रहती है। जिससे विद्युत उपकरण चलाने में परेशानी होती है व विद्युत उपकरण फूंकने का भय रहता है। कभी–कभी तो हमारे घर में लाईट 4–5 दिन के बाद भी आती है, जिससे हमें बहुत कठिनाई होती है। परिवादी ने उक्त प्रकरण पर उचित कार्यवाही करने का अनुरोध मंच से किया है। परिवादी ने अपने शिकायती पत्र के साथ विद्युत बिल की छायाप्रति संलग्न कर प्रस्तुत की है। मंच ने उक्त शिकायत को वाद के रूप में दर्ज कर कार्यालय पत्रांक 41/उ0शि0नि0मं0/पिथौरागढ़ दिनांक 25 मई 2023 को आवश्यक कार्यवाही हेतु विपक्षी को नोटिस जारी कर कृत कार्यवाही से मंच को अवगत कराने को कहा। विपक्षी ने तय समय से पहले अपना जवाब कार्यालय पत्रांक 746/वि0वि0खं0(पि0)/CGRF दिनांक 07 जून 2023 के माध्यम से मंच को प्रेषित किया। विपक्षी ने अपने जवाब में मंच को अवगत कराया कि परिवादी के परिसर में दिनांक 15.06.2023 को प्रातः 7:30 बजे मापक की जांच की गयी, जिसमें 205 वोल्ट विद्युत प्रवाहित पायी गयी। विपक्षी ने मापक में प्रवाहित वोल्टेज के छायाचित्र की प्रति अपने उत्तर के साथ संलग्न कर प्रस्तुत की है। इस पर मंच ने कार्यालय पत्रांक 110/उ0शि0नि0मं0/पिथौरागढ़ दिनांक 16 जून 2023 के माध्यम से परिवादी को विपक्षी के जवाब से अवगत कराते हुए अपनी शिकायत के समर्थन में 17 जून 2023 तक लिखित और मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय दिया। नियत तिथि को परिवादी ने अपना कोई भी साक्ष्य मंच के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया तथा पत्रावली वास्ते दिनांक 28.06.2023 की तिथि पुनः परिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु दी गयी। जिस

क्रम में परिवादी द्वारा व्हाटसएप माध्यम से अपना संतुष्टि पत्र प्रेषित कर लिखित कथन किया कि उनका विद्युत वोल्टेज सही है, तथा हम उक्त कार्यवाही से पूर्णतः संतुष्ट है।

प्रस्तुत मामले में मंच ने पत्रावली का सम्यक परिशीलन कर गहन अध्ययन किया। पत्रावली में मौजूद परिवादी के साक्ष्य व विपक्षी के जवाब से स्पष्ट है कि परिवादी के परिसर में स्थापित संयोजन में प्रवाहित वोल्टेज सही है। इसका प्रमाण विपक्षी ने मापक में प्रवाहित विद्युत प्रवाह की छायाप्रति प्रस्तुत की है। हालांकि परिवादी लो वोल्टेज को लेकर खास प्रमाण मंच में नहीं प्रस्तुत कर पाया। चूंकि आजकल (ग्रीष्मकाल) में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत खपत कम रहती है, जिससे विद्युत का मानकों के अनुरूप का सही आंकलन करना थोड़ा कठिन है। जो विपक्षी द्वारा मापी गयी 205 वोल्टेज से अनुमान लगाया जा सकता है। शीतकाल में बिजली की खपत ज्यादा रहती है, उस दौरान परिवादी को वर्तमान विद्युत प्रवाह के अनुसार लो वोल्टेज की समस्या से जूझना पड सकता है। ऐसे में विपक्षी को निर्देश दिए जाते हैं कि वह शीतकाल में भी परिवादी के परिसर की विद्युत प्रवाह का अनिवार्य रूप से आंकलन करें तथा रिपोर्ट मंच को प्रेषित करें। अन्यथा इसके बाद लो वोल्टेज रहने पर विपक्षी से एसओपी के अनुसार परिवादी को मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार है। इसके अलावा परिवादी भविष्य में लो वोल्टेज की समस्या रहने पर विपक्षी और मंच के समक्ष शिकायत दर्ज करने के लिए स्वतंत्र है। उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर परिवाद को आगे लम्बित रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। मामले में निम्न आदेश दिए जाते हैं।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत वाद (वाद संख्या 183/2023–24) में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान किए जाने पर वाद निस्तारित किया जाता है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता कि वह परिवादी के यहां मानकों के अनुरूप विद्युत प्रवाह की व्यवस्था करें। उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भी विद्युत लोकपाल, 80 बसन्त विहार देहरादून में अपील कर सकते हैं। **पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।**

(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य तकनीकी
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

(संतोष भट्ट)
सदस्य उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
132 K.V Sub-Station Campus, Bhadelwara
Pithoragarh – 262501
E-mail - cgrfpithoragarh@gmail.com
Phon. No – 05964-297743

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
132 के०वी० उपसंस्थान परिसर
भदेलवाड़ा, पिथौरागढ़ – 262501
दूरभाष – 05964– 297743

वाद संख्या – 186 / 2023–24 दिनांक 13.07.2023

श्री लालू राम,
ग्राम – उसैल पो० – देवलथल,
जिला – पिथौरागढ़। परिवादी

बनाम्

अधिशासी अभियंता, उ०पा०का०लि०
विद्युत वितरण खंड पिथौरागढ़। विपक्षी

कोरम

आर०एस० गुंज्याल तकनीकी सदस्य
संतोष भट्ट उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

पत्रावली प्रस्तुत। परिवादी श्री लालू राम, ग्राम – उसैल पो० – देवलथल, जिला पिथौरागढ़ ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के देवलथल में आयोजित शिविर में शिकायत दर्ज कराई कि वह B.P.L कनेक्शन धारी है। उनका कनेक्शन नं० PT24246154837 है जो लालू राम के नाम है। उनको फरवरी के बाद से अब तक कोई भी बिल प्राप्त नही हुआ है। इससे पूर्व भी उनको एकमुश्त रू० 3960.00 का बिल मिला है। एकमुश्त बिल आने से आर्थिक बोझ पडने से उन्हें काफी परेशानी होती है। जबकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। विभागीय कर्मचारी की गलती का खामीयाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। कहा कि उनके घर में दो विद्युत बल्ब का उपयोग होता है। और बिल रू० 3960.00 का जमा किया जो उपभोग से बहुत अधिक है। साथ ही मेरे संयोजन की बुक संख्या 4147 में परिवर्तित कर दिया जाए। साथ ही निवेदन किया है कि उनके मीटर की जांच कर मीटर को सही कर दिया जाए। मंच ने उक्त शिकायत को वाद के रूप मे दर्ज कर कार्यालय पत्रांक 44 / उ०शि०नि०मं० / पिथौरागढ़, दिनांक 25.05.2023 के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु विपक्षी को नोटिस जारी कर कृत कार्यवाही से मंच को अवगत कराने को कहा। इस पर विपक्षी ने कार्यालय पत्रांक 726 / वि०वि०खं०(पि०) / CGRF दिनांक 05.06.2023 के माध्यम से 10 दिन की समयावृद्धि हेतु पत्र प्रेषित किया। जिसे स्वीकार कर पत्रावली वास्ते उत्तर विपक्षी दिनांक 19.06.2023 की तिथि नियत की गयी। नियत तिथि को भी विपक्षी द्वारा अपना उत्तर प्रस्तुत न किए जाने पर उन्हें पत्र प्रेषित कर, उत्तर प्रेषित करने हेतु कहा गया। तत्पश्चात् विपक्षी विभाग ने कार्यालय पत्रांक 977 / वि०वि०ख०(पि०) / CGRF दिनांक 24.05.2023 के माध्यम से उत्तर प्रेषित कर अवगत कराया कि उपभोक्ता का यह कहना गलत है कि उन्हें माह फरवरी के बाद से विद्युत बिल प्राप्त नहीं हुए हैं। क्योंकि उपभोक्ता को माह 04 / 2023 को 109 यूनिट एवं माह 06 / 2023 को 31 यूनिट का बिल उपभोक्ता के परिसर में जाकर Spot Billing Machine द्वारा उपभोग की गयी यूनिट के आधार पर निर्गत किए गये है। उपभोक्ता द्वारा कभी भी समय पर विद्युत बीजक का भुगतान नहीं किया जा रहा है। माह 04 / 2023 में SBM द्वारा बिल निर्गत करते समय उपभोक्ता की रीडिंग त्रुटिवश 1465 चढ़ गयी थी, जिसे संशोधन कर विद्युत बिल में रू० 211.00 का समायोजन दिया जा चुका है, जिसके उपरान्त उपभोक्ता की अवशेष धनराशि रू० 205.00 है, जो कि उपभोक्ता द्वारा देय है। इसी क्रम में मंच द्वारा कार्यालय

पत्रांक 157/उ0शि0नि0मं0/पिथौरागढ़, दिनांक 26.06.2023 के माध्यम से विपक्षी के जवाब से अवगत कराते हुए परिवादी को अपनी शिकायत के समर्थन में लिखित और मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय दिया। नियत तिथि को परिवादी का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं, न्यायहित में परिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु एक अन्य अवसर और दिया गया तथा पत्रावली वास्ते दिनांक 05.07.2023 की तिथि नियत की गयी। नियत तिथि को परिवादी ने अपना साक्ष्य सोशल मीडिया (व्हाटसएप) माध्यम से प्रस्तुत कर लिखित कथन किया कि उनकी शिकायत का समाधान हो गया है, तथा वह विद्युत विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही से संतुष्ट हैं। जो बकाया विद्युत धनराशि जमा करनी है वह जल्द ही जमा कर देगा।

मंच द्वारा पत्रावली का सम्यक परीक्षण कर उपलब्ध साक्ष्यों का गहन अध्ययन किया गया। परिवादी ने समय पर बिल न मिलने की शिकातय दर्ज कराई गई थी। इस पर विपक्षी ने SBM (Spot Billing machine) से परिवादी के परिसर में बिल निर्गत करने का लिखित कथन किया है। लेकिन विपक्षी की गंभीर लापरवाही के कारण परिवादी को मनमानी रीडिंग का बिल एक मुश्त भेजा गया, जो कि उचित नहीं है। चूंकि विपक्षी ने परिवादी को पहले ज्यादा रीडिंग का बिल भेजा गया। जिसकी शिकायत परिवादी द्वारा मंच में की गयी। इसके बाद विपक्षी ने परिवादी का बिल संशोधित कर सही रीडिंग का बिल निर्गत किया गया है। विपक्षी को चेतावनी दी जाती है कि वह परिवादी को भविष्य में सही रीडिंग के बिल निर्गत करें। इसके अलावा उपभोक्ता ने संयोजन की बुक परिवर्तित करने की शिकायत की है। विपक्षी नियमानुसार उक्त मामले में कार्यवाही कर मंच को अवगत कराएं। परिवादी द्वारा तीसरी शिकायत मीटर जांच को लेकर की गई। इसके लिए परिवादी यदि चेक मीटर से जुड़ी औपचारिकता पूरी करता है तो विपक्षी तत्काल परिवादी के परिसर में चेक मीटर लगाएं। ऐसे में वाद को लम्बित रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर वाद निस्तारित किए जाने योग्य है तथा निम्न आदेश पारित किया जाता है :-

आदेश

प्रस्तुत वाद (वाद संख्या 186/2023-24) में परिवादी की बिल संबंधी शिकायत का विपक्षी विभाग द्वारा निराकरण कर दिए जाने पर वाद निस्तारित किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को वास्तविक खपत के सही बिल ससमय निर्गत करें। इसके अलावा परिवादी की बुक संयोजन एवं मीटर जांच संबंधी समस्या का नियमानुसार समाधान कर मंच को अवगत कराएं। उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी भी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट न होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं। **पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।**

(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

(संतोष भट्ट)
सदस्य उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
पिथौरागढ़

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
132 K.V Sub-Station Campus, Bhadelwara
Pithoragarh – 262501
E-mail - cgrfpithoragarh@gmail.com
Phon. No – 05964-297743

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
132 के0वी0 उपसंस्थान परिसर
भदेलवाड़ा, पिथौरागढ़ – 262501
दूरभाष – 05964– 297743

वाद संख्या – 186 / 2023–24 दिनांक 14.07.2023

श्री भीम राम s/o श्री कालू राम,
ग्राम – लोहाकोट पो0 – देवलथल
जिला – पिथौरागढ़। परिवादी

बनाम्

अधिशासी अभियंता, उ0पा0का0लि0
विद्युत वितरण खंड पिथौरागढ़। विपक्षी

कोरम

आर0एस0 गुंज्याल तकनीकी सदस्य
संतोष भट्ट उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

पत्रावली प्रस्तुत। परिवादी श्री भीम राम s/o श्री कालू राम, ग्राम – लोहाकोट पो0 – देवलथल जिला पिथौरागढ ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के देवलथल में आयोजित शिविर में शिकायत दर्ज कराई कि उनका कनेक्शन नं0 PT14147067266 जो कि श्री भीम राम s/o श्री कालू राम के नाम है। उनको दो महीने से विद्युत बिल प्राप्त नहीं हुआ, जब 19.05.2023 को बिल मिला तो बिल रू0 22666 का प्राप्त हुआ। जिसे भरने में वह असमर्थ है। हर महीने बिल देने के बाद भी बहुत ज्यादा बिल आया है। परिवादी ने बिल को सही करने का निवेदन किया है। मंच ने उक्त शिकायत को वाद के रूप में दर्ज कर कार्यालय पत्रांक 46 / उ0शि0नि0मं0 / पिथौरागढ़, दिनांक 25.05.2023 के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु विपक्षी को नोटिस जारी कर कृत कार्यवाही से मंच को अवगत कराने को कहा। नियत तिथि को विपक्षी का जवाब प्रस्तुत न होने पर मंच द्वारा कार्यालय पत्रांक 130 / उ0शि0नि0मं0 / पिथौ0 दिनांक 19.06.2023 के माध्यम से तीन दिन के भीतर प्रकरण पर उत्तर प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। जिस क्रम में विपक्षी विभाग ने कार्यालय पत्रांक 952 / वि0वि0ख0(पि0) / CGRF दिनांक 23.06.2023 के माध्यम से उत्तर प्रेषित कर अवगत कराया कि उपभोक्ता का आई0डी0एफ0 मापक दिनांक 10.09.2017 को बदला गया था, जिसकी ऑनलाईन प्रविष्ठि दिनांक 31.10.2017 को की गयी है। उपभोक्ता के बिल को मीटर चेंज तिथि दिनांक 10.09.2017 से अन्तिम बिल निर्गत तिथि 20.05.2023 तक कुल 68 माह में 8192 यूनिट का उपभोग किया गया है। उक्त अवधि के बिलों को 120 यूनिट प्रतिमाह की दर से Slotwise संशोधित कर बिल में रू0 9831.00 को समायोजन दिया गया है। जिसके उपरान्त उपभोक्ता की अवशेष धनराशि रू0 12835.00 है, जो उपभोक्ता द्वारा देय है। साथ ही यह भी अवगत कराया है कि उक्त विद्युत संयोजन (संख्या PT14147067266) श्री भीम राम पुत्र श्री कालू राम के नाम से ही निर्गत किया गया है। इसके अलावा विपक्षी विभाग ने उनके द्वारा की गयी कार्यवाही के समर्थन में उक्त प्रकरण के समान प्रकरणों पर विभिन्न माननीय न्यायलयों द्वारा वितरण कंपनीयों के पक्ष में दिए गये निर्णयों का भी क्रम वार उल्लेख किया है। इसके अलावा माननीय UERC के विनियम का भी उल्लेख किया है। विपक्षी ने उपरोक्त तथ्यों और साक्ष्यों के आलोक में मंच से परिवाद को खारिज करने का अनुरोध किया है। इसी क्रम में मंच द्वारा कार्यालय पत्रांक 159 / उ0शि0नि0मं0 / पिथौरागढ़, दिनांक 26.

06.2023 के माध्यम से विपक्षी के जवाब से अवगत कराते हुए परिवादी को अपनी शिकायत के समर्थन में लिखित और मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय दिया। नियत तिथि को परिवादी का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं, न्यायहित में परिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु एक अन्य अवसर और दिया गया तथा पत्रावली वास्ते दिनांक 05.07.2023 की तिथि नियत की गयी। नियत तिथि को परिवादी ने अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर लिखित कथन किया कि मेरी शिकायत का समाधान हो गया है, तथा वह उक्त कार्यवाही से पूर्णतः संतुष्ट है।

मंच द्वारा पत्रावली का सम्यक अवलोकन करने पर मंच के संज्ञान में आया कि विपक्षी ने मई 2023 में परिवादी को नवंबर 2022 में मई 2023 तक का बिल 22666.00 रू0 का भेजा गया। परिवादी ने मंच के समक्ष शिकायत दर्ज कराई तो विपक्षी ने मीटर चेंज तिथि 10.09.2017 से अंतिम बिल निर्गत तिथि 20.05.2023 तक कुल 68 माह में उपभोग की गई 8192 यूनिट को बराबर माह में विभाजित कर 120 यूनिट प्रतिमाह की दर से संशोधित कर बिलों में 9831 का समायोजन दिया गया है। इसके बाद परिवादी की तरफ 12835 की राशि शेष रह जाती है। चूंकि उक्त धनराशि परिवादी ने 02.07.2023 को जमा कर 04.07.2023 को अपनी शिकायत के समाधान का संतुष्टि पत्र मंच को प्रेषित किया है। इस पर विपक्षी ने नियमानुसार बिल संशोधित कर परिवादी को समायोजन दे दिया है, और परिवादी भी विपक्षी की कार्यवाही से संतुष्ट है। ऐसे में शिकायत का समाधान हो गया है। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि विपक्षी विभाग ने मार्च 2023 तक 4284 यूनिट का बिल मई 2023 में 8192 यूनिट का बनाकर परिवादी को सीधे एकमुश्त यूनिट का बिल थमा दिया, जो कतई भी नियमानुसार नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि विपक्षी ने परिवादी की रीडिंग नियमित नहीं ली है। और अनुमानित यूनिट पर बिल बनाया गया है। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी के द्वारा एकमुश्त यूनिट के बिल किए जाने से परिवादी पर बिल भार बढ़ गया है। मंच विपक्षी को चेतावनी देता है कि भविष्य में इस तरह की गंभीर लापरवाही बिल निर्गत करने में न करें। साथ ही निर्देश दिए जाते है कि इस लापरवाही के लिए जो भी जिम्मेदार कार्मिक है उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही कर मंच को भी अवगत कराएं। पत्रावलीयों के अध्ययन से स्पष्ट है कि परिवादी की शिकायत का विपक्षी द्वारा उचित निराकरण कर दिया गया है जिससे परिवादी भी संतुष्ट है। ऐसे में वाद को लम्बित रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर वाद निस्तारित किए जाने योग्य है तथा निम्न आदेश पारित किया जाता है :—

आदेश

प्रस्तुत वाद (वाद संख्या 188 / 2023—24) में परिवादी की शिकायत का निराकरण विपक्षी द्वारा कर दिए जाने व परिवादी द्वारा भी इसकी पुष्टि करने के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि वह परिवादी को नियमित रीडिंग के बिल निर्गत करें। उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी भी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट न होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं। पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य तकनीकी
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

(संतोष भट्ट)
सदस्य उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
132 K.V Sub-Station Campus, Bhadelwara
Pithoragarh – 262501
E-mail - cgrfpithoragarh@gmail.com
Phon. No – 05964-297743

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
132 के०वी० उपसंस्थान परिसर
भदेलवाड़ा, पिथौरागढ़ – 262501
दूरभाष – 05964– 297743

दिनांक 12.07.2023

वाद संख्या – 190/2023–24

श्री हरीनन्दन सिंह s/o श्री त्रिलोचन,
ग्राम – उसैल पो० – देवलथल,
जिला – पिथौरागढ़। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता, उ०पा०का०लि०
विद्युत वितरण खंड पिथौरागढ़। विपक्षी

कोरम

आर०एस० गुंज्याल तकनीकी सदस्य

संतोष भट्ट उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

पत्रावली प्रस्तुत। परिवादी श्री हरीनन्दन सिंह s/o श्री त्रिलोचन, ग्राम – उसैल पो० – देवलथल, जिला पिथौरागढ़ ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के देवलथल मे आयोजित शिविर में शिकायत दर्ज कराई कि उनका बी०पी०एल० कनेक्शन है, जिसका कनेक्शन नं० PT14147100687 है, जो कि श्री हरीनन्दन सिंह s/o श्री त्रिलोचन के नाम है। कहा कि उनके द्वार पूर्व में नियमित रूप से बिलों का भुगतान किया जा रहा है। किन्तु मई माह में मीटर रीडर द्वारा उनको बताया गया है कि उनका विद्युत बिल 7000.00 रू० आया है। किन्तु उसके द्वारा विद्युत बिल नहीं दिया गया। साथ ही निवेदन किया है कि मेरी शिकायत का उचित निवारण कर दिया जाए। मंच ने उक्त शिकायत को वाद के रूप में दर्ज कर कार्यालय पत्रांक 48/उ०शि०नि०मं०/पिथौरागढ़, दिनांक 25.05.2023 के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु विपक्षी को नोटिस जारी कर कृत कार्यवाही से मंच को अवगत कराने को कहा। इस पर विपक्षी ने कार्यालय पत्रांक 728/वि०वि०खं०(पि०)/CGRF दिनांक 05.06.2023 के माध्यम से 10 दिन की समयावृद्धि हेतु पत्र प्रेषित किया। जिसे स्वीकार कर पत्रावली वास्ते उत्तर विपक्षी दिनांक 19.06.2023 की तिथि नियत की गयी। नियत तिथि को भी विपक्षी द्वारा अपना उत्तर प्रस्तुत न किए जाने पर पुनः नोटिस प्रेषित कर, उत्तर प्रेषित करने हेतु कहा गया। तत्पश्चात् विपक्षी विभाग ने कार्यालय पत्रांक 944/वि०वि०ख०(पि०)/CGRF दिनांक 23.06.2023 के माध्यम से उत्तर प्रेषित कर अवगत कराया कि माह 02/2013 में उपभोक्ता का खराब मापक बदला गया। उपभोक्ता द्वारा नया मापक स्थापित किये जाने (माह 02/2013) से दिनांक 23.05.2023 तक कुल 124 माह में 4377 यूनिट का उपभोग किया गया है। उपभोक्ता के बिल में 124 माह में कुल उपभोग विद्युत की औसत (4377/124) = 35 यूनिट प्रतिमाह की दर से संशोधित कर बिल में 4632.00 का

समायोजन दिया जा चुका है, जिसके उपरान्त उपभोक्ता के अवशेष बिल की धनराशि रू0 7857.00 से घटकर 3225.00 हो गयी है, जिससे संतुष्ट होकर उपभोक्ता द्वारा दिनांक 19.06.2023 को उक्त धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। इसी क्रम में मंच द्वारा कार्यालय पत्रांक 153/उ0शि0नि0मं0/पिथौरागढ़, दिनांक 26.06.2023 के माध्यम से विपक्षी के जवाब से अवगत कराते हुए परिवादी को अपनी शिकायत के समर्थन में लिखित और मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय दिया। नियत तिथि को परिवादी ने सोशल मीडिया (व्हाटसएप एप) के माध्यम से अपना लिखित पत्र मंच को प्रेषित किया कि उनके द्वारा बिजली के बिल का भुगतान कर दिया गया है और वह मंच की कार्यवाही से संतुष्ट है।

प्रस्तुत मामले की पत्रावलियों का गहन अध्ययन और सम्यक परिशीलन किया गया। पत्रावलियों के अध्ययन से स्पष्ट है कि परिवादी की शिकायत पर विपक्षी द्वारा जारी अधिक धनराशि के विद्युत बिल को परिवाद दर्ज होने के बाद संशोधित कर वास्तविक विद्युत खपत के अनुसार बिल जारी कर दिया है। इसका पुख्ता प्रमाण के रूप में विपक्षी ने कंज्यूमर हिस्टी और लेजर डिटेल्स की छायाप्रति मंच के समक्ष प्रस्तुत की है। इसके अलावा परिवादी द्वारा भी विपक्षी की कार्यवाही पर संतुष्टि जाहिर कर संशोधित विद्युत बिल का भुगतान कर दिए जाने का लिखित कथन अपने साक्ष्य में कर दिया है। उक्त आधार पर वाद को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर परिवाद में निम्न आदेश पारित किया जाता है :-

आदेश

प्रस्तुत वाद (वाद संख्या 190/202324) में परिवादी की शिकायत का विपक्षी विभाग द्वारा समाधान कर दिए जाने पर वाद निस्तारित किया जाता है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह परिवादी को समय पर वास्तविक खपत के बिल निर्गत करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी भी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 बसन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं। पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य तकनीकी
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

(संतोष भट्ट)
सदस्य उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
132 K.V Sub-Station Campus, Bhadelwara
Pithoragarh – 262501
E-mail - cgrfpithoragarh@gmail.com
Phon. No – 05964-297743

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
132 के0वी0 उपसंस्थान परिसर
भदेलवाड़ा, पिथौरागढ़ – 262501
दूरभाष – 05964– 297743

वाद संख्या – 191 / 2023–24 दिनांक 12-07.2023

श्री कुण्डल सिंह s/o श्री आन सिंह,
ग्राम – लमतड़ी पो0 – विसुनाखान
जिला – पिथौरागढ़। परिवादी

बनाम्

अधिशासी अभियंता, उ0पा0का0लि0
विद्युत वितरण खंड पिथौरागढ़। विपक्षी

कोरम

आर0एस0 गुंज्याल तकनीकी सदस्य
संतोष भट्ट उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

पत्रावली प्रस्तुत। परिवादी श्री कुण्डल सिंह s/o श्री आन सिंह, ग्राम – लमतड़ी पो0 – विसुनाखान जिला पिथौरागढ़ ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के देवलथल में आयोजित शिविर में शिकायत दर्ज कराई कि उनका विद्युत कनेक्शन नं0 PT14147474728 कुण्डल सिंह के नाम है। उनका विद्युत बिल उपभोग से अधिक आ रहा है। उनके द्वारा पूर्व के बिलों का भुगतान नियमित रूप से किया है। परिवादी ने मंच से बिल सही करने का निवेदन किया है। मंच ने उक्त शिकायत को वाद के रूप में दर्ज कर कार्यालय पत्रांक 49 / उ0शि0नि0मं0 / पिथौरागढ़, दिनांक 25.05.2023 के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु विपक्षी को नोटिस जारी कर कृत कार्यवाही से मंच को अवगत कराने को कहा। नियत तिथि को विपक्षी ने कार्यालय पत्रांक 727 / वि0वि0खं0(पि0) / CGRF दिनांक 05.06.2023 के माध्यम से 10 दिन की समयावृद्धि हेतु पत्र प्रेषित किया। जिसे स्वीकार कर पत्रावली वास्ते उत्तर विपक्षी दिनांक 19.06.2023 की तिथि नियत की गयी। नियत तिथि को विपक्षी का जवाब प्रस्तुत न होने पर मंच द्वारा कार्यालय पत्रांक 138 / उ0शि0नि0मं0 / पिथौ0 दिनांक 20.06.2023 के माध्यम से तीन दिन के भीतर प्रकरण पर उत्तर प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। जिस क्रम में विपक्षी विभाग ने कार्यालय पत्रांक 973 / वि0वि0ख0(पि0) / CGRF दिनांक 24.06.2023 के माध्यम से उत्तर प्रेषित कर अवगत कराया कि उपभोक्ता को विद्युत संयोजन संख्या PT14147474728 दिनांक 06.08.2019 को निर्गत किया गया है। उपभोक्ता के बिल को दिनांक 06.08.2019 से दिनांक 12.05.2023 तक मैनुअल Slot wise संशोधित किया गया है, जिसके उपरान्त बिल की अवशेष धनराशि रू0 1619.00 है, जो कि उपभोक्ता द्वारा देय है। इसी क्रम में मंच द्वारा कार्यालय पत्रांक 161 / उ0शि0नि0मं0 / पिथौरागढ़, दिनांक 26.06.2023 के माध्यम से विपक्षी के जवाब से अवगत कराते हुए परिवादी को अपनी शिकायत के समर्थन में लिखित और मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय दिया। नियत तिथि को परिवादी ने अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर अवगत कराया कि उनका पिछला बिल रू0 3218.00 आया था, जिसे सही कर रू0 1600.00 कर दिया गया है। जिससे वह पूरी तरह से सहमत है।

प्रस्तुत मामले की पत्रावली का गहन अध्ययन और साक्ष्यों के सम्यक परिशीलन किया गया। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि परिवादी की शिकायत का विपक्षी द्वारा उचित निराकरण कर उसके विद्युत बिल रू0 3218.00 को

नियमानुसार संशोधित कर दिया है। संशोधन के बाद परिवादी को रू0 1600.00 का बिल अवशेष रह गया था, जिसका भुगतान परिवादी द्वारा समय पर कर दिया है। विपक्षी की कार्यवाही पर परिवादी ने संतुष्टि जाहिर कर मंच को लिखित रूप में संतुष्टि पत्र प्रेषित किया है। मंच का मत है कि हालांकि विपक्षी ने शिकायत दर्ज करने के बाद परिवादी का बिल संशोधित कर दिया है। लेकिन भविष्य में परिवादी और अन्य उपभोक्ताओं को जारी बिलों में इस तरह की गड़बड़ी न हो इस पर ध्यान दिया जाना नितांत आवश्यक है। इसे लेकर माननीय UERC के दिशा निर्देशों का भी विपक्षी कड़ाई से पालन करें, ताकि उपभोक्ताओं को समय पर सही बिल निर्गत हो। उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर वाद निस्तारित किए जाने योग्य है तथा निम्न आदेश पारित किया जाता है:-

आदेश

प्रस्तुत वाद (वाद संख्या 191/2023-24) में विपक्षी विभाग ने परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने पर वाद निस्तारित किया जाता है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह परिवादी को भविष्य में वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर सही बिल निर्गत करें। उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी भी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं। **पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।**

(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

(संतोष भट्ट)
सदस्य उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
132 K.V Sub-Station Campus, Bhadelwara
Pithoragarh – 262501
E-mail - cgrfpithoragarh@gmail.com
Phon. No – 05964-297743

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
132 के०वी० उपसंस्थान परिसर
भदेलवाड़ा, पिथौरागढ़ – 262501
दूरभाष – 05964– 297743

वाद संख्या – 192 / 2023–24 दिनांक 12 07 2023

श्री देवी लाल शाह s/o श्री शेर सिंह,
ग्राम – उसैल पो० – देवलथल
जिला – पिथौरागढ़। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता, उ०पा०का०लि०
विद्युत वितरण खंड पिथौरागढ़। विपक्षी

कोरम

आर०एस० गुंज्याल तकनीकी सदस्य

संतोष भट्ट उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

पत्रावली प्रस्तुत। परिवादी श्री देवी लाल शाह s/o श्री शेर सिंह, ग्राम – उसैल पो० – देवलथल जिला पिथौरागढ़ ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के देवलथल में आयोजित शिविर में शिकायत दर्ज कराई कि मुझे जनवरी के बाद कोई भी विद्युत बिल प्राप्त नहीं हुआ है। मीटर रीडर द्वारा बताया गया कि आपका विद्युत बिल 10000.00 का आया है। किन्तु उसके द्वारा विद्युत बिल की प्रति नहीं दी गयी है। उन्होंने कहा कि यह बिल हमारे उपभोग से अधिक है तथा वह बिल जमा करने में असमर्थ है। परिवादी ने मंच से उक्त शिकायत के समाधान का अनुरोध किया है। मंच ने उक्त शिकायत को वाद के रूप में दर्ज कर कार्यालय पत्रांक 50 / उ०शि०नि०मं० / पिथौरागढ़, दिनांक 25.05.2023 के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु विपक्षी को नोटिस जारी कर कृत कार्यवाही से मंच को अवगत कराने को कहा। नियत तिथि को विपक्षी का जवाब प्रस्तुत न होने पर मंच द्वारा कार्यालय पत्रांक 130 / उ०शि०नि०मं० / पिथौ० दिनांक 19.06.2023 के माध्यम से तीन दिन के भीतर प्रकरण पर उत्तर प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। जिस क्रम में विपक्षी विभाग ने कार्यालय पत्रांक 951 / वि०वि०ख०(पि०) / CGRF दिनांक 23.06.2023 के माध्यम से उत्तर प्रेषित कर अवगत कराया कि उपभोक्ता का यह कहना गलत है कि उन्हें माह 01 / 2023 के बाद विद्युत बिल प्राप्त नहीं हुए है। उपभोक्ता को माह 03 / 2023 एवं 05 / 2023 को नियमित रूप से मीटर रीडर द्वारा उपभोक्ता के परिसर में जाकर Spot Billing Machine के माध्यम से बिल निर्गत किये गये है। उपभोक्ता का आईडीएफ० मीटर दिनांक 02.04.2022 को बदला गया, जिसकी ऑनलाईन प्रविष्टि दिनांक 18.04.2022 को की गयी है। उपभोक्ता के बिल को दिनांक 13.03.2022 से 23.05.2023 तक के बिलों पर रू0 2790.00 का OBR Adjustment दिया जा चुका है। जिसके उपरान्त उपभोक्ता के वर्तमान बिल की अवशेष धनराशि रू0 9614.00 से घटकर रू0 6817.00 है, जो कि उपभोक्ता द्वारा देय है। इसी क्रम में मंच द्वारा कार्यालय पत्रांक

150/उ0शि0नि0मं0/पिथौरागढ़, दिनांक 26.06.2023 के माध्यम से विपक्षी के जवाब से अवगत कराते हुए परिवादी को अपनी शिकायत के समर्थन में लिखित और मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय दिया। नियत तिथि को परिवादी का साक्ष्य प्रस्तुत नही, न्यायहित में परिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु दो अवसर और दिये गये तथा पत्रावली वास्ते साक्ष्य परिवादी क्रमशः दिनांक 30.06.2023 व दिनांक 03.07.2023 की तिथि नियत कि गयी। जिस क्रम में परिवादी ने सोशल मीडिया (व्हाटसएप) के माध्यम से अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर लिखित कथन किया कि उन्होंने अवशेष विद्युत बिल जमा कर दिया है। जिसकी भुगतान पावती अपने पत्र के साथ संलग्न कर मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई। साथ ही कथन किया कि वह विपक्षी के द्वारा की गयी कार्यवाही तथा शिकायत के निराकरण को लेकर संतुष्ट है।

प्रस्तुत मामले की पत्रावली का गहन अध्ययन और साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया गया। पत्रावलियों के अध्ययन से स्पष्ट है कि परिवादी की शिकायत का विपक्षी द्वारा उचित निराकरण कर, उसे विद्युत बिल में रुपये – 2970.00 का समायोजन दिया गया है। इसका प्रमाण परिवादी द्वारा बकाया विद्युत बिल जमा कर उसकी रसीद मंच को प्रेषित की गई। इस पर परिवादी ने विपक्षी द्वारा संशोधित बिल के अनुसार अवशेष भुगतान कर दिया है। इसके अलावा परिवादी ने लिखित में शिकायत का समाधान हो जाने का कथन किया है। चूंकि विपक्षी का दावा है कि उसने परिवादी को Spot Billing machine से उसके परिसर में जाकर बिल निर्गत किए थे। लेकिन परियादी ने विपक्षी के इस कथन का अपनी शिकायत में खंडन किया है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि विपक्षी उपभोक्ताओं को समय पर उनके परिसर में उचित माध्यम से बिल निर्गत करें। ताकि भविष्य में इस तरह की शिकायतों का दोहराव न हो। उक्त आधार पर शिकायत को लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है, तथा वाद में निम्न आदेश पारित किया जाता है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत वाद (वाद संख्या 192/2023–24) में विपक्षी विभाग द्वारा परियादी की शिकायत का निराकरण कर दिए जाने के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह ससमय प्रत्येक उपभोक्ता को उनके परिसर में जाकर Spot Billing machine के माध्यम से विद्युत बिल निर्गत करना सुनिश्चित करें, और इसकी जानकारी मौके पर संबंधित उपभोक्ता को भी जरूर दें, ताकि इस तरह की शिकायतों की भविष्य में पुनरावृत्ति न हों। उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी भी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नही होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं। **पत्रावली <u>दफ्तर दाखिल हो।</u>**

(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य तकनीकी
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

(संतोष भट्ट)
सदस्य उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

ffice of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
ttarakhand Power Corporation Ltd.
32 K.V Sub-Station Campus, Bhadelwara
ithoragarh – 262501
-mail - cgrfpithoragarh@gmail.com
hon. No – 05964-297743

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
132 के०वी० उपसंस्थान परिसर
भदेलवाड़ा, पिथौरागढ़ – 262501
दूरभाष – 05964– 297743

वाद संख्या – 195 / 2023–24 दिनांक 11 .07.2023

श्री दुर्गा प्रसाद पाण्डेय s/o श्री जीवन पाण्डेय,
ग्राम – उड़ई पो० – उड़ई
जिला – पिथौरागढ़। परिवादी

बनाम्

अधिशासी अभियंता, उ०पा०का०लि०
विद्युत वितरण खंड पिथौरागढ़। विपक्षी

कोरम

आर०एस० गुंज्याल तकनीकी सदस्य
संतोष भट्ट उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

पत्रावली प्रस्तुत। परिवादी श्री दुर्गा प्रसाद पाण्डेय s/o श्री जीवन पाण्डेय, ग्राम – उड़ई पो० – उड़ई जिला पिथौरागढ़ ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के देवलथल में आयोजित शिविर में शिकायत दर्ज कराई कि ग्राम पंचायत उड़ई के समस्त ग्रामीणों के बिल समय पर नहीं मिल पा रहे हैं। जिससे बिल भुगतान करने व बिल बढ़कर आने की संभावना है। साथ ही मौखिक रूप से बिल भुगतान की जानकारी दी जा रही है। परिवादी ने मंच से उक्त शिकायत का समाधान करने का अनुरोध किया है। मंच ने उक्त शिकायत को वाद के रूप में दर्ज कर कार्यालय पत्रांक 53/उ०शि०नि०मं०/पिथौरागढ़, दिनांक 25.05.2023 के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु विपक्षी को नोटिस जारी कर कृत कार्यवाही से मंच को अवगत कराने को कहा। नियत तिथि को विपक्षी ने कार्यालय पत्रांक 762/वि०वि०खं०(पि०)/CGRF दिनांक 08.06.2023 के माध्यम से 10 दिन की समयावृद्धि हेतु पत्र प्रेषित किया। जिसे स्वीकार कर पत्रावली वास्ते उत्तर विपक्षी दिनांक 24.06.2023 की तिथि नियत की गयी। जिस क्रम में विपक्षी विभाग ने कार्यालय पत्रांक 984/वि०वि०ख०(पि०)/CGRF दिनांक 26.06.2023 के माध्यम से उत्तर प्रेषित कर अवगत कराया कि शिकायतकर्ता के द्वारा अपने शिकायती पत्र में अपने विद्युत संयोजन संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। शिकायती पत्र पर उल्लेखित मोबाईल नम्बर 8954275846 एवं नाम के माध्यम से भी विभागीय ऑन लॉईन पोर्टल पर सर्च किया गया, परन्तु ग्राम उड़ई में उक्त नाम से किसी भी व्यक्ति को विद्युत संयोजन निर्गत नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता श्री दुर्गा प्रसाद पाण्डेय से विद्युत संयोजन संख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु दूरभाष पर संपर्क किया गया था। दिनांक 24.06.2023 को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये विद्युत संयोजन संख्या PT14147013349 जो कि श्री जीवानन्द पाण्डेय के नाम से निर्गत है। उक्त संयोजन में नियमानुसार बिल निर्गत किये जा रहे हैं। जिसे उपभोक्ता द्वारा जमा भी किया जा रहा है। उक्त संयोजन पर उपभोक्ता का मोबाईल नम्बर 8954275846 Online Portal मे दर्ज किया जा चुका है, ताकि भविष्य में बिल की सूचना उनके मोबाईल नम्बर में मैसेज के माध्यम से भी उपलब्ध हो सके। इसी क्रम में मंच द्वारा कार्यालय पत्रांक

183/उ0शि0नि0मं0/पिथौरागढ़, दिनांक 28.06.2023 के माध्यम से विपक्षी के जवाब से अवगत कराते हुए परिवादी को अपनी शिकायत के समर्थन में लिखित और मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय दिया। नियत तिथि को परिवादी ने सोशल मीडिया (व्हाट्सएप) के मैसेज माध्यम से लिखित कथन किया कि वह विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही से संतुष्ट हैं। प्रस्तुत मामले की पत्रावलियों का गहन अध्ययन और सम्यक परिशीलन किया गया। पत्रावलियों के अध्ययन से स्पष्ट है कि परिवादी की शिकायत का विपक्षी द्वारा उचित निराकरण कर दिया गया है। इसके अलावा परिवादी द्वारा भी मंच को अपना संतुष्टि पत्र प्रेषित कर दिया है। इस आधार पर वाद निस्तारित किया जाना उचित होगा। वाद में निम्न आदेश पारित किया जाता है:-

आदेश

प्रस्तुत वाद (वाद संख्या 195/2023-24) में परिवादी की शिकायत का निराकरण विपक्षी विभाग द्वारा कर दिए जाने पर वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी भी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं। पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य तकनीकी
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

(संतोष भट्ट)
सदस्य उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
132 K.V Sub-Station Campus, Bhadelwara
Pithoragarh – 262501
E-mail - cgrfpithoragarh@gmail.com
Phon. No – 05964-297743

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
132 के0वी0 उपसंस्थान परिसर
भदेलवाड़ा, पिथौरागढ़ – 262501
दूरभाष – 05964– 297743

वाद संख्या – 196 / 2023–24 दिनांक 18 .07.2023

श्री कुंदन सिंह s/o श्री शेर सिंह,
ग्राम – उसैल पो0 – देवलथल,
जिला – पिथौरागढ़। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता, उ0पा0का0लि0
विद्युत वितरण खंड पिथौरागढ़। विपक्षी

कोरम

आर0एस0 गुंज्याल तकनीकी सदस्य
संतोष भट्ट उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

पत्रावली प्रस्तुत। परिवादी श्री कुंदन सिंह s/o श्री शेर सिंह, ग्राम – उसैल पो0 – देवलथल, जिला पिथौरागढ़ ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के देवलथल में आयोजित शिविर में शिकायत दर्ज कराई कि प्रार्थी का कनेक्शन नं0 PT14147067141 है, जिसमे अंतिम बिल माह 02 / 2023 के बाद कोई भी बिल सूचना प्राप्त नहीं हुयी है। साथ ही निवेदन किया है कि मेरी शिकायत का उचित निवारण कर दिया जाए। मंच ने उक्त शिकायत को वाद के रूप में दर्ज कर कार्यालय पत्रांक 54 / उ0शि0नि0मं0 / पिथौरागढ़, दिनांक 25.05.2023 के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु विपक्षी को नोटिस जारी कर कृत कार्यवाही से मंच को अवगत कराने को कहा। नियत तिथि तक विपक्षी विभाग का उत्तर प्रस्तुत नहीं न्यायहित में विपक्षी विभाग को उत्तर प्रस्तुत करने हेतु एक अन्य अवसर और प्रदान का पत्रावली वास्ते दिनांक 19.06.2023 की तिथि नियत की गयी। नियत तिथि को भी विपक्षी का जवाब प्रस्तुत न होने पर मंच द्वारा कार्यालय पत्रांक 130 / उ0शि0नि0मं0 / पिथौ0 दिनांक 19.06.2023 के माध्यम से तीन दिन के भीतर प्रकरण पर उत्तर प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। जिस क्रम में विपक्षी विभाग ने कार्यालय पत्रांक 965 / वि0वि0ख0(पि0) / CGRF दिनांक 24.06.2023 के माध्यम से उत्तर प्रेषित कर अवगत कराया कि उपभोक्ता का यह कहना गलत है कि उन्हें 21.02.2023 के बाद कोई भी बिल प्राप्त नहीं हुए हैं। क्योंकि उपभोक्ता को दिनांक 19.03.2023 व 23.05.2023 को नियमित रूप से मीटर रीडर द्वार उपभोक्ता के परिसर में जाकर Spot Billing machine के माध्यम से बिल निर्गत किये गये हैं। उपभोक्ता का आई0डी0एफ0 मीटर को दिनांक 05.12.2023 को बदला गया। उपभोक्ता को निर्गत सी0डी0एफ0 के बिलों को एम0यू0 में बनाया गया। उक्त 6457 यूनिट को प्रतिमाह 127 यूनिट / माह की दर से औसत के अनुसार Slot wise मैनुअल बिल बनाकर उपभोक्ता के बिल में 22980.00 का समायोजन दिया गया है। जिसके पश्चात् उपभोक्ता के अवशेष बिल की धनराशि रू0 32817.00 से घटकर रू0 9837.00 है। दिनांक 02.06.2023 को उपभोक्ता द्वारा विभाग में रू0 7500.00 जमा किये गये हैं, जिसके उपरान्त बिल की वर्तमान अवशेष धनराशि रू0 2337.00 है, जो कि उपभोक्ता द्वारा देय है। विपक्षी ने अपने जवाब में परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री और लेजर डिटेल्स की छायाप्रति भी मंच में बतौर प्रमाण प्रस्तुत की है। इसके अलावा उपरोक्त परिवाद संचित रीडिंग प्रकार का होने के कारण उक्त वाद के समान प्रकरणों पर विभिन्न

न्यायालयों द्वारा वितरण कम्पनियों के पक्ष में निर्णीत निर्णयों को भी नजीर के रूप में विपक्षी ने अपने जवाब में उल्लेख किया है। साथ ही माननीय उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के विनियम, 2020 में विद्युत बिलों के बकाया भुगतान को लेकर जारी दिशा निर्देशों का भी उल्लेख किया है। जिसमें स्पष्ट है कि विपक्षी बकाया विद्युत बिलों की धनराशि को प्राप्त करने का अधिकार है। इसके अलावा विपक्षी ने उपभोक्ता को विद्युत बिल की धनराशि रुपये 2337.00 तत्काल विभाग में जमा करवाने के लिए निर्देश देने का अनुरोध मंच से किया है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विपक्षी ने मंच से वाद खारिज करने का अनुरोध किया है।

इस पर मंच द्वारा परिवादी को कार्यालय पत्रांक 155/उ0शि0नि0मं0/पिथौरागढ़ दिनांक 26.06.2023 के माध्यम से विपक्षी के जवाब से अवगत कराते हुए अपनी शिकायत के समर्थन में लिखित और मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय दिया। तय तिथि को परिवादी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। इस पर मंच द्वारा दिनांक 06.07.2023 तथा 10.07.2023 की तिथि तक साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिया। परिवादी की तरफ से कोई साक्ष्य न दिए जाने पर साक्ष्य का अवसर समाप्त करते हुए, परिवाद को मंच द्वारा न्यायहित में सुना जाना जरूरी है। मंच द्वारा दिनांक 13.07.2023 को सुनवाई की तिथि नियत करते हुए उभय पक्षों को कार्यालय पत्रांक 195/उ0शि0नि0मं0/पिथौरागढ़ दिनांक 11.07.2023 के माध्यम से सूचना दी गई।

आज मंच में सुनवाई के दौरान विपक्षी विभाग की तरफ से अधिशासी अभियंता उपस्थित, परिवादी को दूरभाष पर सुना गया। विपक्षी ने सुनवाई में कथन किया कि परिवादी के सीडीएफ0 के बिलों को संशोधित कर मीटर यूनिट के बिल निर्गत किये गए। इसके बाद परिवादी को करीब रुपये 22980.00 का समायोजन दिया गया। संशोधित बिल की धनराशि में से रुपये 7500.00 की धनराशि जमा कर दी है। शेष धनराशि भी जल्द जमा करने का भरोसा विभाग को दिया है। मंच द्वारा परिवादी को उनकी शिकायत को लेकर पूछा गया तो परिवादी ने कहा कि विभाग ने उनका बिल संशोधित कर दिया है। संशोधित बिल को उनके द्वारा जमा कर दिया है। वह विभाग की कार्यवाही से संतुष्ट है। मंच द्वारा जब परिवादी को लिखित में सहमति और भुगतान पावती की छायाप्रति भेजने को कहा तो परिवादी ने समय मिलते ही उक्त दस्तावेज भेजने का कथन किया है। उपरोक्त परिचर्चा से स्पष्ट है कि विपक्षी विभाग ने परिवादी की बिल सम्बंधी समस्या का समाधान कर दिया है। परिवादी विपक्षी की कार्यवाही से संतुष्ट है। उक्त आधार पर परिवाद को लम्बित रखना उचित नहीं है। परिवाद में निम्न आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद (196/2023) वाद संख्या में विपक्षी विभाग ने परिवादी की बिल सम्बंधी समस्या का नियमानुसार समाधान कर दिए जाने पर परिवाद निस्तारित किया जाता है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह परिवादी को भविष्य में सही बिल निर्गत करें। उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी भी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट न होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं। पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य तकनीकी
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

(संतोष भट्ट)
सदस्य उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
132 K.V Sub-Station Campus, Bhadelwara
Pithoragarh – 262501
E-mail - cgrfpithoragarh@gmail.com
Phon. No – 05964-297743

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
132 के0वी0 उपसंस्थान परिसर
भदेलवाड़ा, पिथौरागढ़ – 262501
दूरभाष – 05964– 297743

वाद संख्या – 198 / 2023–24

दिनांक 18 .07.2023

श्रीमती मंजू देवी w/o श्री जगदीश कुमार,
निवासी – उसैल, पो0 देवलथल
जिला – पिथौरागढ़। परिवादी

बनाम्

अधिशासी अभियंता, उ0पा0का0लि0
विद्युत वितरण खंड पिथौरागढ़। विपक्षी

कोरम

आर0एस0 गुंज्याल तकनीकी सदस्य
संतोष भट्ट उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

पत्रावली प्रस्तुत। परिवादी श्रीमती मंजू देवी W/O श्री जगदीश कुमार निवासी उसैल (बिसुन) पो देवलथल, जिला पिथौरागढ़ ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के देवलथल में आयोजित शिविर में शिकायत दर्ज कराई कि उनका बिजली कनेक्शन नम्बर PT14147105461 श्री फकीर राम s/o श्री हंस राम के नाम दर्ज है। 2006 से बिजली का कनेक्शन बंद है। विभाग द्वारा 10 हजार रुपये भुगतान की बात कही जा रही है। वह बी0पी0एल0 श्रेणी में आते है। परिवादी ने उक्त समस्या का समाधान करने का अनुरोध मंच से किया है। मंच ने उक्त शिकायत को वाद के रूप में दर्ज कर कार्यालय पत्रांक 56 / उ0शि0नि0मं0 / पिथौरागढ़, दिनांक 25.05.2023 के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु विपक्षी को नोटिस जारी कर कृत कार्यवाही से मंच को अवगत कराने को कहा। इस पर विपक्षी ने कार्यालय पत्रांक 698 / वि0वि0ख0(पि0) / CGRF दिनांक 01.06.2023 को अपना जवाब मंच को प्रेषित किया। विपक्षी विभाग ने अवगत कराया कि विद्युत कनेक्शन संख्या PT14147105461 जो कि श्री फकीर राम पुत्र श्री हंस राम को दिनांक 03.01.2004 को निर्गत किया गया था। विपक्षी ने इसका प्रमाण उपभोक्ता की कंज्यूमर हिस्ट्री की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की है। इसके अलावा विपक्षी ने अपने जवाब में कहा कि उपभोक्ता ने विद्युत कनेक्शन निर्गत की तिथि से माह 09 / 2018 तक एक बार भी विद्युत बिल का भुगतान नही किया गया। इसका प्रमाण विपक्षी ने कंज्यूमर लेजर डिटेल्स की छायाप्रति मंच में प्रस्तुत की। विपक्षी ने जवाब में यह भी उल्लेख किया कि माह 09 / 2018 की विद्युत बिल की अवशेष धनराशि रुपये 10673.00 (रुपये दस हजार छह सौ तिहत्तर मात्र) थी। उपभोक्ता के द्वारा विद्युत बिल की उक्त धनराशि जमा न किए जाने पर दिनांक 04.10.2018 को ऑनलाइन सिस्टम पर disconnection की प्रविष्टि की गई। दिनांक 27.06.2019 को उपभोक्ता के संयोजन की स्थायी विच्छेदन की online प्रविष्टि की गई तथा दिनांक 07.01.2022 को 2100 यूनिट पर disconnection and Bill stop किया गया। उपभोक्ता के द्वारा वर्तमान तक बिल की उक्त अवशेष धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। विपक्षी ने उक्त तथ्यों के अवलोकन पर मंच से वाद निरस्त करने का अनुरोध किया है। मंच द्वारा कार्यालय पत्रांक 123 / उ0शि0नि0मं0 / पिथौरागढ़, दिनांक 17.06.2023 के माध्यम से विपक्षी के जवाब से अवगत कराते हुए परिवादी को अपनी शिकायत के समर्थन में लिखित और मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय दिया। इस सम्बंध में

मंच द्वारा परिवादी को उनके शिकायती पत्र में दर्ज मोबाइल नम्बर पर दूरभाष माध्यम से विपक्षी की कार्यवाही से भी अवगत कराया गया। परिवादी ने जल्द अवशेष भुगतान विभाग में जमा कर रसीद प्रस्तुत करने का भरोसा दिया। चूंकि मामला परिवादी और विपक्षी की गंभीर लापरवाही से जुड़ा होने के चलते मंच द्वारा मामले में सुनवाई करना जरूरी समझा और 26.06.2023 को सुनवाई की तिथि तय की गयी। इसकी सूचना विपक्षी और परिवादी को दूरभाष पर दी गई।

मंच में आज सुनवाई के दौरान विपक्षी उपस्थित, परिवादी अनुपस्थित। परिवादी को दूरभाष पर सुना गया। परिवादी ने कहा कि उन्होंने दिनांक 20.06.2023 को विभाग में रुपये 10,000.00 (दस हजार रुपये) जमा कर दिए हैं। शेष बकाया रुपये 673.00 को भी जल्द जमा कर दिया जाएगा। इसके साथ ही परिवादी ने नया कनेक्शन जारी करने की मांग मंच के समक्ष दोहराई। परिवादी ने भुगतान की गयी धनराशि की भुगतान पावती भी मंच के समक्ष प्रेषित की है। सुनवाई के दौरान अधिशासी अभियंता ने भी स्वीकार किया कि उक्त तिथि को परिवादी ने विभाग के अवशेष बकाया का 10,000.00 रुपये जमा कर दिए हैं। अब 673.00 रुपये जमा करने के बाद परिवादी को नियमानुसार कनेक्शन दिया जाएगा। इसी दौरान विपक्षी विभाग ने मंच को **Consumer Personal Details** की छायाप्रति प्रस्तुत कर अवगत कराया कि परिवादी ने अवशेष धनराशि जमा कर दिए जाने पर, परिवादी के परिसर में नया मापक स्थापित कर दिया गया है, जिसकी प्रति विपक्षी ने मंच को ई–मेल माध्यम से प्रेषित की। साथ ही परिवादी ने भी दूरभाष माध्यम से अवगत कराया कि विपक्षी को उन्होंने सभी बकाया और नये कनेक्शन का शुल्क जमा करने के बाद उनके परिसर में विद्युत संयोजन लग जाने की पुष्टि की है। चूंकि परिवादी ने कथन किया कि वह बी0पी0एल0 श्रेणी से नाता रखती है, तथा विपक्षी द्वारा पूर्व में उसको बी0पी0एल0 श्रेणी का कनेक्शन जारी किया गया था। लेकिन वर्तमान समय में विपक्षी ने परिवादी को ए0पी0एल0 श्रेणी का कनेक्शन जारी किया है। जिस पर विपक्षी का कहना है कि परिवादी ने उनको बी0पी0एल0 क्रमांक उपलब्ध नहीं कराया है। यदि परिवादी भविष्य में बी0पी0एल0 क्रमांक उपलब्ध कराती है तो उसको बी0पी0एल0 श्रेणी का लाभ दिया जाना न्यायोचित होगा। प्रस्तुत मामले में विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह परिवादी को भविष्य में वास्तविक खपत के बिल निर्गत करने के साथ ही समय पर उनका भुगतान भी प्राप्त करें। इसके अलावा परिवादी को भी मंच यह निर्देश देता है कि वह विद्युत उपभोग करने पर विद्युत बिलों का समय पर भुगतान करें। ताकि आर्थिक बोझ से बच सकें और विपक्षी को समय पर राजस्व प्राप्त हो सके। उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर परिवाद में निम्न आदेश पारित किया जाता है :–

आदेश

प्रस्तुत वाद (वाद संख्या 198/2023–24) में विपक्षी विभाग ने परिवादी की शिकायत का निराकरण कर दिए जाने पर वाद निस्तारित किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह भविष्य में परिवादी का वास्तविक खपत के बिल निर्गत करें। साथ ही परिवादी भी बिलों का समय पर भुगतान करें। उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी भी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं। **पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।**

(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य तकनीकी
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

(संतोष भट्ट)
सदस्य उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
132 K.V Sub-Station Campus, Bhadelwara
Pithoragarh – 262501
E-mail - cgrfpithoragarh@gmail.com
Phon. No – 05964-297743

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
132 के0वी0 उपसंस्थान परिसर
भदेलवाड़ा, पिथौरागढ़ – 262501
दूरभाष – 05964– 297743

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

वाद संख्या – 199 / 2023–24 दिनांक 18.07.2023

श्री चन्दर राम,
ग्राम व पो0 – देवलथल
जिला – पिथौरागढ़। परिवादी

बनाम्

अधिशासी अभियंता, उ0पा0का0लि0
विद्युत वितरण खंड पिथौरागढ़। विपक्षी

कोरम
आर0एस0 गुंज्याल तकनीकी सदस्य
संतोष भट्ट उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

पत्रावली प्रस्तुत। परिवादी श्री चंदर राम निवासी देवलथल, जिला पिथौरागढ़ ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के देवलथल में आयोजित शिविर में शिकायत दर्ज कराई कि, उनके नाम विद्युत संयोजन संख्या PT14147156746 दर्ज है। उनके यहां दो माह से न तो विद्युत बिल आया और न ही रीडिंग लेने मीटर रीडर आया। समय पर बिल न मिलने से उन्हें अधिक धनराशि जमा करनी पडती है, जिससे आर्थिक बोझ पड़ता है। परिवादी ने उक्त शिकायत का निवारण करने का अनुरोध मंच से किया है। मंच ने शिकायत को परिवाद के रूप में दर्ज कर कार्यालय पत्रांक 67 / उ0शि0नि0मं0 / पिथौरागढ़ दिनांक 25.05.2023 के माध्यम से विपक्षी को नोटिस जारी कर कृत कार्यवाही से मंच को अवगत कराने को कहा। विपक्षी ने कार्यालय पत्रांक 712 / वि0वि0ख0(पि0) / CGRF दिनांक 03.06.2023 के माध्यम से अपना जवाब मंच को प्रेषित कर लिखित कथन किया कि उपभोक्ता श्री चंदर राम निवासी देवलथल को उनके द्वारा उपभोग की गयी विद्युत खपत के अनुसार सही रीडिंग के बिल निर्गत किए गए हैं। विपक्षी ने यह भी कथन किया कि उपभोक्ता का यह कहना गलत है कि दो माह से उन्हें विद्युत बिल प्राप्त नहीं हो रहे हैं। क्योंकि उपभोक्ता को पहला बिल दिनांक 31.03.2023 व 27.05.2023 को मीटर रीडर द्वारा उपभोक्ता के परिसर में जाकर Spot Billing Machine के माध्यम से रीडिंग के बिल निर्गत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता के संयोजन पर अंकित मोबाइल नम्बर पर भी नियमित रूप से मैसेज के माध्यम से बिल की धनराशि की सूचना प्रेषित की जाती है। उक्त तथ्यों के आलोक में विपक्षी ने मंच से प्रस्तुत मामले को खारिज करने का अनुरोध किया है। इस पर मंच ने कार्यालय पत्रांक 127 / उ0शि0नि0मं0 / पिथौरागढ़ दिनांक 17.06.2023 के माध्यम से परिवादी को विपक्षी के जवाब से अवगत कराते हुए अपनी शिकायत के समर्थन में लिखित और मौखिक जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया। नियत तिथि को परिवादी का कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं। न्यायहित में परिवादी को दिनांक 10.07.2023 की एक और तिथि दी गई। आज भी मामले में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं। मंच ने प्रस्तुत मामले में सुनवाई जरुरी समझते हुए 13.07.2023 की तिथि तय की। इसकी सूचना उभयपक्षों को कार्यालय पत्रांक 192 / उ0शि0नि0मं0 / पिथौरागढ़ दिनांक 11.07.2023 के माध्यम से दी गई।

आज प्रस्तुत परिवाद में सुनवाई के दौरान विपक्षी उपस्थित, परिवादी को फोन पर सुना गया। विपक्षी ने सुनवाई में कथन किया कि परिवादी को समय पर बिल प्रेषित किये जा रहे हैं। कुछ समय के लिए मीटर रीडर न होने से जरूर अव्यवस्था रही, लेकिन अब सभी उपभोक्ताओं को सही रीडिंग के बिल निर्गत हो रहे हैं। इस पर परिवादी ने अपनी शिकायत का दोहराव किया। सुनवाई के दौरान मंच द्वारा कंज्यूमर हिस्ट्री का अवलोकन किया तो उसमें परिवादी को चारगुनी यूनिट यानी परिवादी द्वारा पूर्व बिलों में उपभोग की गयी 40 से 60 यूनिट के बिलों को सीधे 158 यूनिट का बिल निर्गत किया गया है, जिससे स्पष्ट होता कि विपक्षी ने समय पर परिवादी को बिल नहीं भेजा और बाद में एक मुश्त यूनिट का बिल भेजा गया। चूंकि परिवादी बीपीएल० श्रेणी का उपभोक्ता है और उस पर बीपीएल० श्रेणी की टैरिफ लागू होती है। ऐसे में विपक्षी ने 158 यूनिट के बिल पर जो एपीएल० श्रेणी की दरें लगाई है, वह गलत है। यह बात विपक्षी ने सुनवाई के दौरान स्वीकार की और कहा कि वह सही दरों का बिल संशोधित कर मंच को प्रेषित करेगा। उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मंच विपक्षी को आदेश देता है कि वह परिवादी को सही खपत, सही श्रेणी और सही समय पर बिल निर्गत करें। उक्त आधार पर परिवाद को निस्तारित किया जाना न्यायोचित होगा। मामले में निम्न आदेश दिया जाता है।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद (वाद संख्या 199/2023) में विपक्षी विभाग ने परिवादी की बिल सम्बंधी शिकायत का समाधान कर दिए जाने पर परिवाद निस्तारित किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को सही खपत और सही समय पर बिल निर्गत करें। उभयपक्ष एक दूसरे से वाद को लेकर किसी भी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट न होने पर परिवादी 30 दिनों के भीतर विद्युत लोकपाल 80, वसन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(आर०एस० गुंज्याल)
सदस्य तकनीकी
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

(संतोष भट्ट)
सदस्य उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
132 K.V Sub-Station Campus, Bhadelwara
Pithoragarh – 262501
E-mail - cgrfpithoragarh@gmail.com
Phon. No – 05964-297743

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
132 के०वी० उपसंस्थान परिसर
भदेलवाड़ा, पिथौरागढ़ – 262501
दूरभाष – 05964– 297743

वाद संख्या – 201/2023–24

दिनांक 11 .07.2023

श्री रमेश राम s/o श्री श्यामु राम,
ग्राम – उडई पो० – देवलथल
जिला – पिथौरागढ़।

परिवादी

बनाम्

अधिशासी अभियंता, उ०पा०का०लि०
विद्युत वितरण खंड पिथौरागढ़।

विपक्षी

कोरम

आर०एस० गुंज्याल — तकनीकी सदस्य

संतोष भट्ट — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

पत्रावली प्रस्तुत। परिवादी श्री रमेश राम s/o श्री श्यामु राम, ग्राम – उडई पो० – देवलथल जिला पिथौरागढ़ ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के देवलथल में आयोजित शिविर में शिकायत दर्ज कराई कि उनका कनेक्शन नं० PT14147101626 है, जो कि श्री रमेश राम के नाम है। उनके द्वारा पूर्व में सारे बिलों का भुगतान किया है। किन्तु माह 05/2023 में उनका बिल रू0 2528.00 का आया है, जो कि समझ से परे है। कहा कि उक्त बिल को जमा करने मे वह असमर्थ है। परिवादी ने उक्त शिकायत का समाधान करने का निवेदन किया है। मंच ने उक्त शिकायत को वाद के रूप में दर्ज कर कार्यालय पत्रांक 59/उ0शि0नि0मं0/पिथौरागढ़, दिनांक 25.05.2023 के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु विपक्षी को नोटिस जारी कर कृत कार्यवाही से मंच को अवगत कराने को कहा। नियत तिथि को विपक्षी ने कार्यालय पत्रांक 730/वि0वि0ख0(पि0)/CGRF दिनांक 05.06.2023 के माध्यम से 10 दिन की समयावृद्धि हेतु पत्र प्रेषित किया। जिसे स्वीकार कर पत्रावली वास्ते उत्तर विपक्षी दिनांक 19.06.2023 की तिथि नियत की गयी। नियत तिथि को भी विपक्षी का जवाब प्रस्तुत न होने पर मंच द्वारा कार्यालय पत्रांक 137/उ0शि0नि0मं0/पिथौ0 दिनांक 20.06.2023 के माध्यम से तीन दिन के भीतर प्रकरण पर उत्तर प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। जिस क्रम में विपक्षी विभाग ने कार्यालय पत्रांक 963/वि0वि0ख0(पि0)/CGRF दिनांक 24.06.2023 के माध्यम से उत्तर प्रेषित कर अवगत कराया कि उपभोक्ता का यह कहना गलत है कि उन्हें माह 05/2023 में रू0 2528.00 का बिल प्राप्त हुआ है। जबकि उपभोक्ता को माह 05/2023 में रू0 1006.00 का बिल प्रेषित किया गया है। उपभोक्ता के बिल में दिनांक 31.05.2023 को माह 05/2022 से 05/2023 तक Slot wise old Bill Revision दिया जा चुका है, जिसके उपरान्त उपभोक्ता की वर्तमान अवशेष धनराशि रू0 (–31.96) है। इसी क्रम में मंच द्वारा कार्यालय पत्रांक 154/उ0शि0नि0मं0/पिथौरागढ़, दिनांक 26.06.2023 के माध्यम से विपक्षी के जवाब से अवगत कराते हुए परिवादी को अपनी शिकायत के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय दिया। जिस पर परिवादी ने सोशल मीडिया (व्हाटसएप) माध्यम से अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर लिखित कथन किया कि उनके द्वारा की गयी शिकायत का निवारण हो गया है, जिससे वह पूर्ण संतुष्ट है। परिवादी ने विद्युत बिल भुगतान पावती की छायाप्रति भी मंच को प्रेषित की है।

मंच द्वारा पत्रावली का सम्यक परिशीलन एवं साक्ष्यों का गहन अध्ययन किया गया प्रस्तुत परिवाद में परिवादी ने बिल ज्यादा आने की शिकायत योजित की है। शिकायत दर्ज होने के बाद विपक्षी विभाग ने परिवादी का बिल संशोधित कर दिया है। इसका प्रमाण विपक्षी ने लिखित में मंच के समक्ष प्रस्तुत किया है। चूंकि बिल संशोधन के बाद परिवादी का बिल ऋणात्मक (–31.96) हो गया है। जो विपक्षी की तरफ से देय है। ऐसे में विपक्षी उक्त धनराशि को परिवादी के आगामी बिलों में समायोजित करेगा। तथा भविष्य में परिवादी को सही बिल निर्गत करेगा। उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर स्पष्ट है कि परिवादी की शिकायत का समाधान विपक्षी द्वारा कर दिया गया है। ऐसे में वाद को लम्बित रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। उक्त आधार पर वाद निस्तारित किए जाने योग्य है, तथा निम्न आदेश पारित किया जाता है :–

आदेश

प्रस्तुत वाद (वाद संख्या 201/2023–24) में परिवादी की शिकायत का निराकरण विपक्षी द्वारा कर दिए जाने के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को भविष्य में सही बिल निर्गत करें। उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी भी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट न होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं। **पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।**

(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ

(संतोष भट्ट)
सदस्य उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
132 K.V Sub-Station Campus, Bhadelwara
Pithoragarh – 262501
E-mail - cgrfpithoragarh@gmail.com
Phon. No – 05964-297743

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
132 के0वी0 उपसंस्थान परिसर
भदेलवाड़ा, पिथौरागढ़ – 262501
दूरभाष – 05964– 297743

वाद संख्या – 205 / 2023–24 दिनांक 12 .07.2023

श्री ललित कुमार s/o श्री दिगम्बर राम,
पता – सिरोली पो0 – कनालीछीना
जिला – पिथौरागढ़। परिवादी

बनाम्

अधिशासी अभियंता, उ0पा0का0लि0
विद्युत वितरण खंड पिथौरागढ़। विपक्षी

कोरम

आर0एस0 गुंज्याल तकनीकी सदस्य

संतोष भट्ट उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

पत्रावली प्रस्तुत। परिवादी श्री ललित कुमार s/o श्री दिगम्बर राम, पता – सिरोली पो0 – कनालीछीना जिला पिथौरागढ़ ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के कनालीछीन में आयोजित शिविर में शिकायत दर्ज कराई कि उनके नाम से विद्युत कनेक्शन नं0 PT14355093504 दर्ज है, जो कि श्री ललित कुमार के नाम है। उनके द्वारा पूर्व में रू0 3000.00 का बिल जमा किया गया था, किन्तु बिल जमा करने के बावजूद भी विद्युत बिल की धनराशि जुड़कर आ रही है। परिवादी ने उक्त शिकायत का समाधान करने का निवेदन किया है। मंच ने उक्त शिकायत को वाद के रूप में दर्ज कर कार्यालय पत्रांक 64 / उ0शि0नि0मं0 / पिथौरागढ़, दिनांक 29.05.2023 के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु विपक्षी को नोटिस जारी कर कृत कार्यवाही से मंच को अवगत कराने को कहा। नियत तिथि को विपक्षी का जवाब प्रस्तुत न होने पर मंच द्वारा कार्यालय पत्रांक 130 / उ0शि0नि0मं0 / पिथौ0 दिनांक 19.06.2023 के माध्यम से तीन दिन के भीतर प्रकरण पर उत्तर प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। जिस क्रम में विपक्षी विभाग ने कार्यालय पत्रांक 673 / वि0वि0ख0(पि0) / CGRF दिनांक 01.06.2023 के माध्यम से उत्तर प्रेषित कर अवगत कराया कि परिवादी ने लगभग पांच वर्षो में मात्र एक बार रू0 3000.00 का भुगतान किया गया है। उपभोक्ता का यह कहना गलत है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में जमा की गयी धनराशि बिल में जुड़ कर आ रही है। क्योंकि उपभोक्ता के माह नवम्बर 2022 तक अवशेष विद्युत बिल की धनराशि रू0 5818.00 थी, जिसके सापेक्ष उनके द्वारा दिनांक 16.11.2022 को रू0 3000.00 का भुगतान किया गया है। जिसके पश्चात् उपभोक्ता के बिल की शेष धनराशि रू0 2818.00 थी। उपभोक्ता के माह 01 / 2023, 03 / 2023 एवं 05 / 2023 की विद्युत बिल की धनराशि क्रमशः 242.00, 252.00 एवं 236.00 कुल रू0 730.00 थी। जो कि माह 11 / 2022 की अवशेष धनराशि रू0 2818.00 में जुड़कर रू0 3549.00 हो गयी है। जो कि उपभोक्ता द्वारा देय है। इस संबंध में विपक्षी ने परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री और लेजर डिटेल्स की छायाप्रति मंच के समक्ष प्रस्तुत की है। विपक्षी विभाग के उत्तर से परिवादी को दूरभाष माध्यम से अवगत कराया गया तथा अपनी शिकायत के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। किन्तु परिवादी द्वारा अपना कोई भी साक्ष्य मंच के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया, न्यायहित में परिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु एक अन्य अवसर और दिया गया तथा पत्रावली वास्ते दिनांक 24.06.2023 की तिथि नियत

की गयी। नियत तिथि को भी परिवादी द्वारा अपना कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जिसके उपरान्त परिवादी को कार्यालय पत्रांक 160/उ0शि0नि0मं0/पिथौरागढ़, दिनांक 26.06.2023 के माध्यम से अपनी शिकायत के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम अवसर दिया गया। नियत तिथि को परिवादी ने अपना साक्ष्य सोशल मीडिया (व्हाटसएप) माध्यम से प्रस्तुत कर लिखित कथन किया कि उनकी शिकायत का समाधान हो गया है और वह पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। प्रस्तुत मामले की पत्रावलियों का गहन अध्ययन और सम्यक परिशीलन किया गया। पत्रावलीयों के अध्ययन से स्पष्ट है कि परिवादी की शिकायत का विपक्षी द्वारा उचित निराकरण कर दिया गया है जिससे परिवादी भी संतुष्ट है। ऐसे में वाद को लम्बित रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर वाद निस्तारित किए जाने योग्य है तथा निम्न आदेश पारित किया जाता है :-

आदेश

प्रस्तुत वाद (वाद संख्या 205/2023-24) में परिवादी की शिकायत का निराकरण विपक्षी विभाग द्वारा कर दिए जाने के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी भी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट न होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं। **पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।**

(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य तकनीकी
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

(संतोष भट्ट)
सदस्य उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
132 K.V Sub-Station Campus, Bhadelwara
Pithoragarh – 262501
E-mail - cgrfpithoragarh@gmail.com
Phon. No – 05964-297743

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
132 के०वी० उपसंस्थान परिसर
भदेलवाड़ा, पिथौरागढ़ – 262501
दूरभाष – 05964– 297743

वाद संख्या – 207 / 2023–24 दिनांक 13 .07.2023

श्री हीरा राम,
ग्राम व पो0 – गुड़ौली,
जिला – पिथौरागढ़। परिवादी

बनाम्

अधिशासी अभियंता, उ0पा0का0लि0
विद्युत वितरण खंड पिथौरागढ़। विपक्षी

कोरम
आर0एस0 गुंज्याल तकनीकी सदस्य
संतोष भट्ट उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

पत्रावली प्रस्तुत। परिवादी श्री हीरा राम, ग्राम व पो0 – गुड़ौली, जिला पिथौरागढ़ ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के कनालीछीना में आयोजित शिविर में शिकायत दर्ज कराई कि उनके घर के पास लगा हुआ विद्युत पोल जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुका है। जिससे जानमाल की हानि होने की संभावना बनी रहती है। परिवादी ने उक्त शिकायत का समाधान करने का निवेदन किया है। मंच ने उक्त शिकायत को वाद के रूप में दर्ज कर कार्यालय पत्रांक 66 / उ0शि0नि0मं0 / पिथौरागढ़, दिनांक 29.05.2023 के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु विपक्षी को नोटिस जारी कर कृत कार्यवाही से मंच को अवगत कराने को कहा। इस पर विपक्षी ने कार्यालय पत्रांक 675 / वि0वि0खं0(पि0) / CGRF दिनांक 01.06.2023 को अपना जवाब मंच को प्रेषित किया। विपक्षी विभाग ने अवगत कराया कि उक्त शिकायत के सम्बन्ध में सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी व अवर अभियन्ता से आख्या चाही गयी थी। अवर अभियन्ता, विद्युत वितरण अनुभाग, कनालीछीना द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता श्री हीरा राम के मकान के पास स्थापित विद्युत पोल सही अवस्था में है, तथा उक्त पोल वर्तमान में थोड़ा झुका हुआ है। साथ ही इस कार्यालय के पत्रांक 659 / वि0वि0खं0(पि0) / CGRF दिनांक 31.05.2023 के माध्यम से प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, पिथौरागढ़ एवं सम्बन्धित अवर अभियन्ता को निर्देशित किया गया है। विपक्षी ने मंच से अनुरोध किया है कि उक्त वाद को निरस्त करने का कष्ट करें। इसी क्रम में मंच द्वारा कार्यालय पत्रांक 99 / उ0शि0नि0मं0 / पिथौरागढ़, दिनांक 15.06.2023 के माध्यम से विपक्षी के जवाब से अवगत कराते हुए परिवादी को अपनी शिकायत के समर्थन में लिखित और मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय दिया। नियत तिथि को परिवादी का साक्ष्य प्रस्तुत नही, न्यायहित में परिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु एक अवसर और दिया गया तथा पत्रावली वास्ते साक्ष्य परिवादी दिनांक 28.06.2023 की तिथि नियत कि गयी। नियत तिथि को भी परिवादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाने पर उससे दूरभाष माध्यम से संपर्क किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके मकान के पास जीर्ण–शीर्ण अवस्था में पहुंच चुके विद्युत पोल को विभाग द्वारा बदल दिया गया है, जिससे वह संतुष्ट हैं। साथ ही कहा कि वह लिखने में असमर्थ है, जिस कारण वह मंच को अपना पत्र प्रेषित नही कर पा रहे हैं। प्रस्तुत मामले की पत्रावलियों का गहन

SBhatt

अध्ययन और सम्यक परिशीलन किया गया। चूंकि प्रस्तुत परिवाद परिवादी ने जर्जर हो चुके विद्युत पोल से जनमानस को उत्पन्न खतरे को लेकर योजित किया है। हांलाकि परिवाद इस मंच के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। लेकिन जन मानस के लिए उत्पन्न खतरे और रेगुलेशन में शिकायतकर्ता को एक बार सुनने का उल्लेख होने के कारण परिवाद को मंच ने सुना। जिस पर विपक्षी विभाग ने अपने स्तर से उचित कार्यवाही कर समस्या का समाधान कर दिया है। ऐसे में वाद को लम्बित रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। उक्त आधार पर वाद निस्तारित किए जाने योग्य है, तथा निम्न आदेश पारित किया जाता है :–

आदेश

प्रस्तुत वाद (वाद संख्या 207/2023–24) में परिवादी की शिकायत का निराकरण विपक्षी द्वारा कर दिए जाने के आधार पर प्रस्तुत वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी भी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट न होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं। पत्रावली दफ्त

(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य तकनीकी
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

(संतोष भट्ट)
सदस्य उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
132 K.V Sub-Station Campus, Bhadelwara
Pithoragarh – 262501
E-mail - cgrfpithoragarh@gmail.com
Phon. No – 05964-297743

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
132 के0वी0 उपसंस्थान परिसर
भदेलवाड़ा, पिथौरागढ़ – 262501
दूरभाष – 05964– 297743

वाद संख्या – 210 / 2023–24

दिनांक 18.07.2023

श्रीमती कमला पाण्डेय,
ग्राम व पो0 – गुडौली, कनालीछीना
जिला – पिथौरागढ़।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता, उ0पा0का0लि0
विद्युत वितरण खंड पिथौरागढ़।

विपक्षी

कोरम

आर0एस0 गुंज्याल — तकनीकी सदस्य
संतोष भट्ट — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

पत्रवाली प्रस्तुत। परिवादी श्रीमती कमला पांडेय पत्नी स्व0 श्री लक्ष्मी दत्त पांडेय निवासी ग्राम व पोस्ट गुडौली तह0 कनालीछीना, जिला पिथौरागढ़ ने ग्राम प्रधान गुड़ौली के मार्फत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के कनालीछीना शिविर में शिकायत दर्ज कराई की उनका परिवार गुडौली से बनबसा (चंपावत) स्थानांतरित हो गया है। उन्होंने मंच से अनुरोध किया कि उनके नाम गुडौली गांव में चल रहा विद्युत संयोजन बंद करवाया जाए। इस पर मंच ने कार्यालय पत्रांक 69 / उ0शि0नि0मं0 / पिथौरागढ़ दिनांक 29.05.2023 के माध्यम से विपक्षी को नोटिस जारी कर कृत कार्यवाही से मंच को अवगत कराने को कहा गया। विपक्षी ने कार्यालय पत्रांक 676 / वि0वि0खं0(पि0), दिनांक 01.06.2023 को अपना जवाब मंच को प्रेषित कर कथन किया कि प्रस्तुत मामले में उपभोक्ता के द्वारा विद्युत संयोजन विच्छेदित किये जाने हेतु अद्यतन खण्ड एवं उपखंड कार्यालय में Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (The Electricity Supply Code) Release of new Connection's and Related Matters) Regulation, 2020 के Chapter 6 के 6.2 Permanent Disconnection on Consumer's request में प्रदत्त नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपभोक्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर (Standards of Performance) Regulations, 2022 के Schedule–III (Guaranteed Standards of Performance) के बिंदु संख्या 7.2 Consumer wanting disconnection में प्रदत्त समयावधि के भीतर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर विपक्षी ने मंच से अनुरोध किया कि उक्त वाद को खारिज किया जाए। इस पर मंच द्वारा परिवादी को उनके शिकायती पत्र में दर्ज दूरभाष नम्बर और गुडौली के ग्राम प्रधान को विपक्षी की कार्यवाही से अवगत कराते हुए अपनी शिकायत के समर्थन में मौखिक और लिखित साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय दिया। नियत तिथि तक परिवादी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर मंच द्वारा कई बार परिवादी को दूरभाष से अवगत कराया गया। परिवादी का जवाब न मिलने पर मंच द्वारा 26.06.2023 को परिवाद में सुनवाई की तिथि तय की। इस सम्बंध में उभयपक्षों को कार्यालय पत्रांक 146 / उ0शि0नि0मं0 / पिथौरागढ़, दिनांक 24.06.2023 के माध्यम से सूचना दी गई। सुनवाई की तय तिथि पर विपक्षी उपस्थित, परिवादी अनुपस्थित। मंच द्वारा परिवादी को सुनने का अंतिम अवसर देते हुए पुनः सुनवाई की तिथि 13.07.2023 को तय की। इसकी सूचना उभयपक्षों को

कार्यालय पत्रांक 194/उ0शि0नि0मं0/पिथौरागढ़ दिनांक 11.07.2023 के माध्यम से दी गई। आज सुनवाई में विपक्षी विभाग की तरफ से अधिशासी अभियंता उपस्थित, परिवादी के प्रतिनिधि को दूरभाष से सुना गया। विपक्षी ने प्रस्तुत मामले में माननीय उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों और विनियम में प्रदत्त नियमों के अनुसार कार्यवाही का कथन किया। साथ ही कथन किया कि परिवादी पर वर्तमान में कोई बकाया अवशेष नहीं है। डिस्कनेक्शन चार्ज जमा करने तथा नियमानुसार आवेदन करने पर परिवादी का कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा विभाग में जमा जमानती राशि भी परिवादी को कनेक्शन बंद होने के बाद नियमानुसार लौटा दिए जाने का कथन किया है। इस पर परिवादी के प्रतिनिधि ने कहा कि वह डिस्कनेक्शन चार्ज ऑनलाइन जमा कर निर्धारित आवेदन जल्द विपक्षी को प्रस्तुत कर देगा। चूंकि मामले में परिवादी की तरफ से कनेक्शन बंद करने को लेकर वांछित औपचारिकता पूरी करनी है। प्रस्तुत मामले में मंच का मत है कि यदि परिवादी समय पर सभी औपचारिकताएं पूरी कर देता तो उसकी समस्या का विपक्षी समाधान कर देगा। यह कथन विपक्षी ने लिखित जवाब और मंच में हुई सुनवाई के दौरान कही है। अतः मामले में निम्न आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद (वाद संख्या 210/2023) में विपक्षी विभाग को मंच आदेशित करता है कि परिवादी के द्वारा वांछित औपचारिकताएं पूरी कर दिए जाने पर नियमानुसार संयोजन बंद कर दें। साथ ही परिवादी की जमानती धनराशि को भी समय पर लौटा दें। उक्त आधार पर परिवाद निस्तारित किया जाता है। उभयपक्ष एक दूसरे से वाद को लेकर किसी भी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट न होने पर परिवादी 30 दिनों के भीतर विद्युत लोकपाल 80, वसन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य तकनीकी
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

(संतोष भट्ट)
सदस्य उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
132 K.V Sub-Station Campus, Bhadelwara
Pithoragarh – 262501
E-mail - cgrfpithoragarh@gmail.com
Phon. No – 05964-297743

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
132 के0वी0 उपसंस्थान परिसर
भदेलवाड़ा, पिथौरागढ़ – 262501
दूरभाष – 05964– 297743

वाद संख्या – 211/2023–24 दिनांक 12.07.2023

श्री किशन राम आर्या s/o श्री चरन राम,
पता – सीमार (लौठा) पो0 – कनालीछीना
जिला – पिथौरागढ़। परिवादी

बनाम्

अधिशासी अभियंता, उ0पा0का0लि0
विद्युत वितरण खंड पिथौरागढ़। विपक्षी

कोरम

आर0एस0 गुंज्याल तकनीकी सदस्य
संतोष भट्ट उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

पत्रावली प्रस्तुत। परिवादी श्री किशन राम आर्या s/o श्री चरन राम, पता – सीमार (लौठा) पो0 – कनालीछीना जिला पिथौरागढ़ ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के देवलथल में आयोजित शिविर में शिकायत दर्ज कराई कि वह B.P.L कनेक्शन धारी है (कनेक्शन नं0 PT14355100303) जो कि श्री किशन राम आर्या के नाम है। उनका बिल उपभोग से अधिक आ रहा है। परिवादी ने बिल सही करने का निवेदन किया है। मंच ने उक्त शिकायत को वाद के रूप में दर्ज कर कार्यालय पत्रांक 70/उ0शि0नि0मं0/पिथौरागढ़, दिनांक 29.05.2023 के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु विपक्षी को नोटिस जारी कर कृत कार्यवाही से मंच को अवगत कराने को कहा। नियत तिथि को विपक्षी ने कार्यालय पत्रांक 731/वि0वि0खं0(पि0)/CGRF दिनांक 05.06.2023 के माध्यम से 10 दिन की समयावृद्धि हेतु पत्र प्रेषित किया। जिसे स्वीकार कर पत्रावली वास्ते उत्तर विपक्षी दिनांक 19.06.2023 की तिथि नियत की गयी। नियत तिथि को विपक्षी का जवाब प्रस्तुत न होने पर मंच द्वारा कार्यालय पत्रांक 140/उ0शि0नि0मं0/पिथौ0 दिनांक 20.06.2023 के माध्यम से तीन दिन के भीतर प्रकरण पर उत्तर प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। जिस क्रम में विपक्षी विभाग ने कार्यालय पत्रांक 954/वि0वि0खं0(पि0)/CGRF दिनांक 23.06.2023 के माध्यम से उत्तर प्रेषित कर अवगत कराया कि परिवादी का आई0डी0एफ0 मापक (5031 रीडिंग पर) दिनांक 13.03.2023 को बदला गया था, जिसकी दिनांक 15.05.2023 को ऑन लाईन प्रविष्टि की गयी है। उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गयी विद्युत की खपत के अनुसार सही रीडिंग के बिल निर्गत किये गये हैं। उपभोक्ता की वर्तमान अवशेष धनराशि रू0 714.00 है, जो कि उपभोक्ता द्वारा देय है। इसको लेकर विपक्षी विभाग ने परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री और लेजर डिटेल्स की छायाप्रति मंच को प्रेषित की गयी। इसी क्रम में मंच द्वारा कार्यालय पत्रांक 156/उ0शि0नि0मं0/पिथौरागढ़, दिनांक 26.06.2023 के माध्यम से विपक्षी के जवाब से अवगत कराते हुए परिवादी को अपनी शिकायत के समर्थन में लिखित और मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय दिया। नियत तिथि को परिवादी ने अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर अवगत कराया कि उनकी शिकायत का समाधान हो गया है, तथा वह पूर्ण रूप से संतुष्ट है। पत्रावलीयों के अध्ययन से स्पष्ट है कि परिवादी की शिकायत का विपक्षी द्वारा उचित निराकरण कर दिया

गया है जिससे परिवादी भी संतुष्ट है। ऐसे में वाद को लम्बित रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर वाद निस्तारित किए जाने योग्य है तथा निम्न आदेश पारित किया जाता है :–

आदेश

प्रस्तुत वाद (वाद संख्या 211/2023–24) में परिवादी की शिकायत का निराकरण विपक्षी द्वारा कर दिए जाने व परिवादी द्वारा लिखित रूप में संतुष्टि जाहिर करने के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी भी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं। पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य तकनीकी
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

(संतोष भट्ट)
सदस्य उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
132 K.V Sub-Station Campus, Bhadelwara
Pithoragarh – 262501
E-mail - cgrfpithoragarh@gmail.com
Phon. No – 05964-297743

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
132 के0वी0 उपसंस्थान परिसर
भदेलवाड़ा, पिथौरागढ़ – 262501
दूरभाष – 05964– 297743

वाद संख्या – 212 / 2023–24

दिनांक /4.07.2023

श्री होशियार सिंह s/o स्व0 श्री बहादुर सिंह,
ग्राम व पो0 – ख्वांकोट कनालीछीना
जिला – पिथौरागढ़।

परिवादी

बनाम्

अधिशासी अभियंता, उ0पा0का0लि0
विद्युत वितरण खंड पिथौरागढ़।

विपक्षी

कोरम

आर0एस0 गुंज्याल — तकनीकी सदस्य

संतोष भट्ट — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

पत्रावली प्रस्तुत। परिवादी श्री होशियार सिंह पुत्र स्व0 श्री बहादुर सिंह ग्राम ख्वांकोट, कनालीछीना, जिला पिथौरागढ़ ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के कनालीछीना में आयोजित शिविर में शिकायत दर्ज कराई कि उनके विद्युत संयोजन संख्या PT14359162897 के बिल में पिताजी का नाम बहादुर सिंह की जगह जमन सिंह अंकित है। परिवादी ने बिल में वास्तविक नाम होशियार सिंह पुत्र स्व श्री बहादुर सिंह दर्ज करने का अनुरोध मंच से किया है। मंच ने उक्त शिकायत को परिवाद के रूप में दर्ज कर कार्यालय पत्रांक 71 / उ0शि0नि0मं0 / पिथौरागढ़ दिनांक 29.05.2023 के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु विपक्षी विभाग को नोटिस जारी कर कृत कार्यवाही से मंच को अवगत कराने को कहा। नियत तिथि को विपक्षी ने अपने पत्रांक 708 / वि0वि0खं0 / पिथौरागढ़ / cgrf दिनांक 03.06.2023 के माध्यम से मंच को उत्तर प्रेषित कर अवगत कराया कि उपभोक्ता के विद्युत बिल में उनके पिता का नाम परिवर्तन करने के सम्बंध में आज दिनांक तक खंड एवं उपखंड कार्यालय में नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपभोक्ता द्वारा विद्युत बिल में अपने पिता का नाम परिवर्तन किए जाने हेतु आवेदन करने पर विनियम 2022 में प्रदत्त समयावधि के भीतर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। विपक्षी ने उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद निरस्त करने का अनुरोध मंच से किया है। इसी क्रम में मंच द्वारा अपने कार्यकाल पत्रांक 118 / उ0शि0नि0मं0 पिथौरागढ़ दिनांक 16.06.2023 के माध्यम से परिवादी को विपक्षी के जवाब से अवगत कराते हुए अपनी शिकायत के समर्थन में लिखित और मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय दिया। इस सम्बंध में मंच ने परिवादी को शिकायती पत्र में दर्ज दूरभाष नम्बर और लिखित पत्र के माध्यम से अपनी शिकायत के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिया गया। जिस पर परिवादी ने मौखिक रूप में कहा कि उनके द्वारा शिविर में सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थी।

इस पर मंच ने विपक्षी विभाग को दूरभाष माध्यम से कहा कि 26.05.2023 को मंच के शिविर में परिवादी ने मौके पर मौजूद विपक्षी के प्रतिनिधि उप खंड अधिकारी को आवेदन पत्र और शपथ पत्र सौंपा गया था। उस दौरान मंच ने मौके पर ही प्रकरण पर कार्यवाही करने को कहा गया था, लेकिन उप खंड अधिकारी ने नेटवर्क न होने तथा दफ्तर में स्टाफ की कमी बताते हुए दफ्तर जाकर समस्या का समाधान करने की बात कही गई। लेकिन उक्त मामले में विपक्षी नियमानुसार कार्यवाही करने की बजाय उपभोक्ता पर जिम्मेदारी टाली जा रही है। इसके बाद विपक्षी ने मंच को दिनांक

04.07.2023 को परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री की छायाप्रति मंच के समक्ष प्रेषित की गई, जिसमें परिवादी के पिता का सही नाम बहादुर सिंह अंकित था। इस मामले में मंच द्वारा दूरभाष माध्यम से परिवादी को अवगत कराया कि विपक्षी ने उनकी शिकायत का निराकरण कर दिया है, यदि वह अब भी अपनी शिकायत के समर्थन में कोई लिखित और मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते तो मंच को प्रेषित करें। लेकिन परिवादी ने मौखिक रूप में कहा कि वह इस मामले में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं और विपक्षी की कार्यवाही से संतुष्ट हैं।

मंच द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का परिशीलन कर उपलब्ध कागजातों का गहन अध्ययन किया। चूंकि परिवादी ने मंच के कनालीछीना शिविर में अपने पिता का सही नाम दर्ज कराने को लेकर परिवाद योजित किया गया था। प्रस्तुत मामले में विपक्षी ने परिवादी की शिकायत उनके विद्युत संयोजन के बिल पर पिता का नाम सही कर दिया है। इसका प्रमाण विपक्षी ने कंज्यूमर हिस्ट्री में परिवादी के पिता का सही नाम दर्ज करते हुए छायाप्रति मंच के समक्ष प्रस्तुत की है। इससे परिवादी की समस्या का समाधान हो गया है। इस सम्बंध में परिवादी ने मौके पर ही आवेदन से जुड़ी जानकारी/औपचारिकताएं विपक्षी के प्रतिनिधि उपखंड अधिकारी को सौंप दी थी। बावजूद इसके समय पर कार्यवाही नहीं की गई। इस तरह की लापरवाही गंभीर है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता कि वह भविष्य में इस तरह की लापरवाही का दोहराव न करें। उपरोक्त आधार पर परिवाद को निस्तारित किया जाना उचित होगा। परिवाद में निम्न आदेश दिया जाता है।

आदेश

प्रस्तुत वाद (वाद संख्या 212/2023–24) में विपक्षी विभाग ने परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने पर वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी भी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं। पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

(आर०एस० गुंज्याल)
सदस्य तकनीकी
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

(संतोष भट्ट)
सदस्य उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
132 K.V Sub-Station Campus, Bhadelwara
Pithoragarh – 262501
E-mail - cgrfpithoragarh@gmail.com
Phon. No – 05964-297743

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
132 के0वी0 उपसंस्थान परिसर
भदेलवाड़ा, पिथौरागढ़ – 262501
दूरभाष – 05964– 297743

वाद संख्या – 213 / 2023–24 दिनांक 18 .07.2023

श्रीमती तुलसी देवी पत्नी स्व0 श्री तेज सिंह,

ग्राम व पो0 – ख्वातड़ी,

जिला – पिथौरागढ़। परिवादी

बनाम्

अधिशासी अभियंता, उ0पा0का0लि0

विद्युत वितरण खंड पिथौरागढ़। विपक्षी

कोरम

आर0एस0 गुंज्याल तकनीकी सदस्य

संतोष भट्ट उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

पत्रावली प्रस्तुत। परिवादी श्रीमती तुलसी देवी पत्नी स्व0 श्री तेज सिंह ग्राम व पो0 – ख्वातड़ी, जिला पिथौरागढ़ ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के कनालीछीना में आयोजित शिविर में शिकायत दर्ज कराई कि मेरे घर से बिजली का पोल दूर होने के कारण तार हवा से बार–बार टूट जाता है, व मेरे घर की बिजली बन्द हो जाती है। साथ ही उक्त विषय पर उचित कार्यवाही करने का निवेदन किया है। मंच ने उक्त शिकायत को वाद के रूप में दर्ज कर विपक्षी विभाग को कार्यालय पत्रांक 72 / उ0शि0नि0मं0 / पिथौरागढ़, दिनांक 29.05.2023 को आवश्यक कार्यवाही हेतु 10 कार्यदिवस का समय देते हुए नोटिस जारी किया गया। विपक्षी ने अपना जवाब कार्यालय पत्रांक 714 / वि0वि0ख0(पि0) / CGRF, दिनांक 05.06.2023 के माध्यम से अपना उत्तर प्रस्तुत कर अवगत कराया कि शिकायतकर्ता के परिसर से विद्युत पोल की दूरी 50 मीटर है। विद्युत पोल से शिकायतकर्ता के परिसर के बीच एक अतिरिक्त पोल स्थापित किये जाने हेतु प्रणाली सुधार मद के तहत अनुमानक बनाकर उच्चाधिकारियों से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण किया जाएगा। साथ ही उक्त प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपख0 पिथौरागढ़ एवं सम्बन्धित अवर अभियन्ता को निर्देशित किया गया है। इस पर मंच ने कार्यालय पत्रांक 102 / उ0शि0नि0मं0 / पिथौरागढ़, दिनांक 15.06.2023 के माध्यम से उपभोक्ता को विपक्षी के जवाब से अवगत कराते हुए अपनी शिकायत के समर्थन में 17.06.2023 तक लिखित / मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय दिया गया। किन्तु मंच द्वारा परिवादी को बार–बार दूरभाष माध्यम से सूचना दिए जाने के बावजूद भी परिवादी ने अपनी शिकायत पर कोई रूचि न दिखाकर, उदासीनता प्रकट की है।

प्रस्तुत मामले में मंच द्वारा पत्रावली का सम्यक परिशीलन कर गहन अध्ययन किया गया। परिवादी ने दूर से कनेक्शन देने के कारण बार बार विद्युत आपूर्ति बाधित होने की शिकायत के समाधान को वाद योजित किया है। यह बात विपक्षी ने अपने जवाब में स्वीकार किया कि परिवादी को उनके परिसर से करीब 50 मीटर दूर से कनेक्शन दिया गया है। विपक्षी ने एक अतिरिक्त पोल स्थापित किए जाने हेतु प्रणाली सुधार मद में अनुमानक बनाने का लिखित कथन किया है। अनुमानक की स्वीकृति के बाद उपभोक्ता की समस्या का लिखित समाधान का लिखित कथन भी मंच को

प्रेषित जवाब में किया है। इस मामले में मंच द्वारा परिवादी को उनके शिकायती पत्र में दर्ज दूरभाष नंबर 8057423629 पर व्हाटसएप माध्यम से 19.06.2023 को पत्र प्रेषित किया है। इसके अलावा बार-बार दूरभाष माध्यम से अपनी शिकायत के समर्थन में लिखित और मौखिक साक्ष्य प्रेषित करने को कहा गया। लेकिन परिवादी द्वारा अपनी शिकायत पर अद्यतन कोई भी रूचि न लेकर उदासिनता बरती गयी है। ऐसे में वाद को लंबित रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। मामले में मंच निम्न आदेश पारित करता है।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद (वाद संख्या 213/2023-24) में विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह प्रणाली सुधार मद में वित्तीय स्वीकृति मिलते ही तत्काल कार्य पूर्ण करें। उक्त आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। उभयपक्ष एक दूसरे से वाद को लेकर किसी भी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट न होने पर परिवादी 30 दिनों के भीतर विद्युत लोकपाल 80, वसन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं। **पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।**

(आर०एस० गुंज्याल)
सदस्य तकनीकी
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

(संतोष भट्ट)
सदस्य उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
132 K.V Sub-Station Campus, Bhadelwara
Pithoragarh – 262501
E-mail - cgrfpithoragarh@gmail.com
Phon. No – 05964-297743

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
132 के0वी0 उपसंस्थान परिसर
भदेलवाड़ा, पिथौरागढ़ – 262501
दूरभाष – 05964– 297743

वाद संख्या – 217 / 2023–24

दिनांक 18 .07.2023

श्री पुष्कर सिंह,
ग्राम – रियांसी, पो0 वड्डा
जिला – पिथौरागढ़।

परिवादी

बनाम्

अधिशासी अभियंता, उ0पा0का0लि0
विद्युत वितरण खंड पिथौरागढ़।

विपक्षी

कोरम

आर0एस0 गुंज्याल — तकनीकी सदस्य
संतोष भट्ट — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

पत्रावली प्रस्तुत। परिवादी श्री पुष्कर सिंह, ग्राम – रियांसी, पो0 वड्डा, जिला पिथौरागढ ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के वड्डा में आयोजित शिविर में शिकायत दर्ज कराई कि उनके क्षेत्र में मेन लाइन में जितने भी ट्रांसफार्मर लगे हैं, उनमें अधिकांश ट्रांसफार्मर में टीपीएमओ0 नहीं लगे हैं। यदि किसी में लगे भी हैं तो सब खराब हैं। यदि किसी भी लाइन में खराबी (फॉल्ट) को ठीक करनी है तो पिथौरागढ़ से ब्रेकडाउन (शॅटडाउन) लेना पड़ता है। इससे पूरे क्षेत्र को परेशानी उठानी पड़ती है। परिवादी ने अपनी शिकायत में यह भी कथन किया कि क्षेत्र के सभी ट्रांसफार्मरों के टीपीएमओ0 ठीक किये जाएं जिससे क्षेत्र में सुचारू बिजली आपूर्ति बनी रहे। मंच ने उक्त शिकायत को परिवाद के रूप में दर्ज कर कार्यालय पत्रांक 76/उ0शि0नि0मं0 / पिथौरागढ़ दिनांक 29.05.2023 के माध्यम से विपक्षी को नोटिस जारी कर कृत कार्यवाही से मंच को अवगत कराने को कहा गया। विपक्षी ने कार्यालय पत्रांक 761 / वि0वि0खं0(पि0) / CGRF दिनांक 08.06.2023 के माध्यम से उक्त मामले में कार्यवाही हेतु 10 दिन का समय याचित किया। तय समय पर विपक्षी का जवाब प्रस्तुत न होने पर मंच द्वारा प्रकरण से जुड़ी सम्पूर्ण तथ्यात्मक जानकारी तीन दिन के भीतर प्रस्तुत करने का समय दिया। तय तिथि को विपक्षी ने कार्यालय पत्रांक 953 / वि0वि0खं0(पि0) / CGRF दिनांक 23.06.2023 को अपना जवाब मंच को प्रस्तुत कर लिखित कथन किया कि चूंकि TPMO (Triple pole manually operated switch) अप्रचलित है व इनका परिवर्तन कर ACCB (Air Circuit Braker) का प्रयोग किया जा रहा है। TPMO का अनाधिकृत रूप से ग्रामीणों द्वारा उपयोग किया जाता रहा है। जिसमें विद्युत दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं रहती हैं। वर्तमान में परिवर्तकों में ACCB लगाए जाने का कार्य नगर स्तर पर गतिमान है एवं भविष्य में वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमति प्राप्त होने पर ग्रामीण स्तरों में भी उक्त कार्य किया जाएगा। इसके अलावा विपक्षी ने अपने जवाब में लिखित कथन किया कि उक्त शिकायत माननीय UERC (Guidelines for Appointment of Member and Procedure to be followed by the forum for Redressal of Grievances of the consumers) Regulations, 2019 के Chapter 3 के बिंदु संख्या 3.1 "Jurisdiction of Forum" के उप बिंदु (2) से इतर है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच से अनुरोध किया कि वाद को खारिज किया जाए।

इस पर मंच द्वारा कार्यालय पत्रांक 152/उ0शि0नि0मं0/पिथौरागढ़ दिनांक 26.06.2023 के माध्यम से परिवादी को विपक्षी की कार्यवाही से अवगत कराते हुए अपनी शिकायत के समर्थन में लिखित और मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया। इसकी सूचना परिवादी को उनकी शिकायत में दर्ज दूरभाष नम्बर पर सोशल मीडिया (व्हाटसएप) पर भेजी गयी। इसके अलावा परिवादी को मंच द्वारा कई बार दूरभाष पर भी अपनी शिकायत के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा गया। लेकिन परिवादी ने अपनी शिकायत के प्रति कोई रूचि न लेकर उदासिनता प्रकट की है। चूंकि प्रस्तुत वाद विद्युत उपकरण बदलने से जुड़ा होने के कारण इस मंच के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इस बात का उल्लेख विनियम में भी है कि उपकरण बदलने/लाईन बिछाने/लाईन शिफ्टिंग के सम्बंध में आदेश करने का अधिकार केवल जिला मजिस्ट्रेट अथवा प्राधिकृत अधिकारी को ही प्राप्त है, जिनके द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध रिवीजन की सुनवाई का अधिकार भी सम्बंधित आयोग को ही है। रेगुलेशन के अनुसार इस मंच को इस सम्बंध में कोई आदेश पारित करने का अधिकार नही है। साथ ही माननीय UERC(Guidelines for Appointment of Member and Procedure to be followed by the forum for Redressal of Grievances of the consumers) Regulations, 2019 के नियम 3.1(5) के तहत भी इस मंच को विद्युत उपकरण बदलने, लाईन, पोल और उपकरण शिफ्ट किये जाने सम्बंधी मामलों को सुनने का अधिकार इस मंच के पास नहीं है। लेकिन परिवाद में परिवादी ने विद्युत आपूर्ति बाधित होने का जिक्र किया है, जो कि शिकायत रेगुलेशन के Chapter 1.2 के 1(क) में "Supply of Electricity" से नाता रखती है। ऐसे में परिवादी की शिकायत सुचारू एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति से जुड़ी होने के चलते आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। परिवाद में निम्न आदेश दिए जाते हैं।

आदेश

परिवादी का वाद (वाद संख्या 217/2023) आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग परिवादी को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति करना सुनिश्चित करें। उभयपक्ष एक दूसरे से वाद को लेकर किसी भी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट न होने पर परिवादी 30 दिनों के भीतर विद्युत लोकपाल 80, वसन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं। <u>पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।</u>

(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य तकनीकी
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

(संतोष भट्ट)
सदस्य उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
132 K.V Sub-Station Campus, Bhadelwara
Pithoragarh – 262501
E-mail - cgrfpithoragarh@gmail.com
Phon. No – 05964-297743

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
132 के0वी0 उपसंस्थान परिसर
भदेलवाड़ा, पिथौरागढ़ – 262501
दूरभाष – 05964– 297743

दिनांक 18.07.2023

वाद संख्या – 219/2023–24

श्री गणेश राम s/o श्री डिगर राम,
ग्राम व पो0 – वड्डा,
जिला – पिथौरागढ़। परिवादी

बनाम्

अधिशासी अभियंता, उ0पा0का0लि0 विपक्षी
विद्युत वितरण खंड पिथौरागढ़।

कोरम
आर0एस0 गुंज्याल तकनीकी सदस्य
संतोष भट्ट उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

पत्रावली प्रस्तुत। परिवादी गणेश राम पुत्र श्री डिगर राम पता वड्डा, जिला पिथौरागढ़ ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के वड्डा में आयोजित शिविर में शिकायत दर्ज कराई कि उनके नाम विद्युत संयोजन PT21428016501 दर्ज है। संयोजन पर उनके द्वारा 20.03.2023 को सिक्योरिटी हेतु रुपये 221.00 जमा कराए थे। लेकिन माह 05/2023 को जो बिल प्राप्त हुआ, उसमें पुनः सिक्योरिटी (धरोहर) जुड़कर आयी है। परिवादी ने उक्त शिकायत का समाधान करने का अनुरोध मंच से किया है। मंच ने शिकायत को परिवाद के रूप में दर्ज कर कार्यालय पत्रांक 78/उ0शि0नि0मं0/पिथौरागढ़ दिनांक 29.05.2023 के माध्यम से विपक्षी को नोटिस जारी कर कृत कार्यवाही से मंच को अवगत कराने को कहा। तय तिथि पर विपक्षी का जवाब प्रस्तुत न होने पर मंच ने विपक्षी को तीन दिन के भीतर तथ्यात्मक जानकारी के साथ जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया। इस पर विपक्षी ने कार्यालय पत्रांक 957/वि0वि0ख0(पि0)/CGRF, दिनांक 23.06.2023 को अपना जवाब मंच को प्रेषित कर लिखित कथन किया कि उपभोक्ता गणेश राम पुत्र डिगर राम को विद्युत संयोजन संख्या PT21428016501 जो कि दिनांक 25.03.2001 को निर्गत किया गया है। उपभोक्ता के द्वारा विद्युत संयोजन लेते समय विभाग में जमा धनराशि जो कि माह अप्रैल 2015 तक बढ़कर रुपये 300.00 हो गई थी। उक्त धरोहर की धनराशि पर कॉरपोरेशन के आदेश संख्या 87/UPCL/RM/D–13 दिनांक 07.05.2021 के अनुसार निर्धारित वार्षिक ब्याज की दरों से वर्ष 2022–23 तक बढ़कर रुपये 689.00 हो गयी है। प्रमाण के रूप में विपक्षी ने विभाग के OM की छायाप्रति संलग्न की है। चूंकि उपभोक्ता के वार्षिक विद्युत खपत के सापेक्ष Required Additional Security Deposit की मांग हेतु धनराशि का निर्धारण माननीय UERC (The Electricity Supply Code) Release of New Connection and Related Matters (Regulation) 2020 के Section 4.2 (Additional Security Deposit) के अनुसार किया जाता है। इसके प्रमाण के रूप में विपक्षी ने विनियम की छायाप्रति भी जवाब में संलग्न की है। साथ ही कथन किया कि उपभोक्ता के कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार माह 04/2023 तक उपभोक्ता की Required Additional Security Deposit की धनराशि रुपये 1383.00 है। उपभोक्ता की माह 04/2023 तक Available Security Deposit की धनराशि रुपये 709.00 हो गई है। जिसे Required Additional Security Deposit की धनराशि से

घटाकर (1383.00−709.00) = 674 की धनराशि अवशेष है। जिसे उपभोक्ता द्वारा जमा किया जाना है। विपक्षी ने उक्त तथ्यों के आधार पर अतिरिक्त धरोहर धनराशि नियमानुसार ली जा रही है तथा वाद को खारिज करने का अनुरोध मंच से किया है।

इस पर मंच ने कार्यालय पत्रांक 158/उ0शि0नि0मं0/पिथौरागढ़ दिनांक 26.06.2023 के माध्यम से परिवादी को विपक्षी के जवाब से अवगत कराते हुए अपनी शिकायत के समर्थन में लिखित और मौखिक साक्ष्य के लिए समय दिया। तय तिथि को परिवादी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया। इस पर एक और अवसर परिवादी को दिनांक 10.07.2023 को दिया गया। लेकिन परिवादी ने कोई लिखित और मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही किया। मामले में मंच द्वारा विपक्षी और परिवादी को सुनने के लिए दिनांक 13.07.203 को सुनवाई की तारीख तय की। इसकी सूचना परिवादी और विपक्षी को कार्यालय पत्रांक 197/उ0शि0नि0मं0/पिथौरागढ़ दिनांक 11.07.2023 को सूचना प्रेषित की गई।

आज मंच में सुनवाई के दौरान विपक्षी की तरफ से अधिशासी अभियंता उपस्थित, परिवादी को दूरभाष से सुना गया। विपक्षी ने कहा कि माननीय उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के दिशा निर्देशों एवं टैरिफ ऑर्डर के नियमानुसार परिवादी से अतिरिक्त धरोहर धनराशि ली जा रही है। विपक्षी ने सुनवाई के दौरान कथन किया कि धरोहर धनराशि पर पूरा अधिकार परिवादी का है तथा विभाग आरबीआई0 की नियमों के मुताबिक धरोहर धनराशि पर विपक्षी हर साल ब्याज भी देता है। कहा कि उपभोक्ता को खपत के अनुसार धरोहर धनराशि की मांग की गई। परिवादी ने कथन किया कि मार्च 2023 में उनके द्वारा रुपये 221.00 की धरोहर धनराशि जमा की गई। इस पर विपक्षी ने उक्त जमा धरोहर धनराशि 2021−22 में जमा होना बताया और इसके प्रमाण के रूप में कंज्यूमर हिस्ट्री में हुई एंट्री को मंच के समक्ष दिखाया। इस पर परिवादी ने संतुष्टि जाहिर करते हुए मंच को भरोसा दिया कि वह जल्द उक्त धरोहर धनराशि को जमा कर देगा। चूंकि परिवादी से विपक्षी ने माननीय उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के विनियम 2020 एवं टैरिफ ऑर्डर के अनुसार धरोहर धनराशि की मांग की गई है। अतः परिवाद खारिज होने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद (वाद संख्या 219/2023) में विपक्षी विभाग ने परिवादी से नियमानुसार धरोहर धनराशि की मांग की है। अतः परिवाद खारिज किया जाता है। उभयपक्ष एक दूसरे से वाद को लेकर किसी भी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट न होने पर परिवादी 30 दिनों के भीतर विद्युत लोकपाल 80, वसन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य तकनीकी
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

(संतोष भट्ट)
सदस्य उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
132 K.V Sub-Station Campus, Bhadelwara
Pithoragarh – 262501
E-mail - cgrfpithoragarh@gmail.com
Phon. No – 05964-297743

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
132 के0वी0 उपसंस्थान परिसर
भदेलवाड़ा, पिथौरागढ़ – 262501
दूरभाष – 05964– 297743

वाद संख्या – 220 / 2023–24

दिनांक 11 .07.2023

श्री किशन सिंह थापा,

ग्राम पंचायत – च्यौड़ी तोक कमेटपानी (सिरकुच)

वि0ख0 मूनाकोट, जिला – पिथौरागढ़। परिवादी

बनाम्

अधिशासी अभियंता, उ0पा0का0लि0

विद्युत वितरण खंड पिथौरागढ़। विपक्षी

कोरम

आर0एस0 गुंज्याल तकनीकी सदस्य

संतोष भट्ट उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

पत्रावली प्रस्तुत। शिकायतकर्ता श्री किशन सिंह थापा ग्राम पंचायत च्यौंडी तोक कमेटपानी (सिरकुच), विकास खंड मूनाकोट, जिला पिथौरागढ़ ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के वड्डा में आयोजित शिविर में शिकायत दर्ज कराई कि ग्राम पंचायत च्यौंडी तोक कमेरपानी में विद्युत आपूर्ति को सुचारू करने हेतु लॉपिंग चॉपिंग की नितांत आवश्यकता है। परिवादी ने उक्त समस्या का समाधान करने का अनुरोध मंच से किया है। मंच ने उक्त शिकायत को वाद के रूप में दर्ज कर कार्यालय पत्रांक 79 / उ0शि0नि0मं0 / पिथौरागढ़ दिनांक 29.05.2023 को आवश्यक कार्यवाही हेतु विपक्षी को नोटिस जारी कर कृत कार्यवाही से मंच को अवगत कराने को कहा। विपक्षी ने तय समय से पहले अपना जवाब कार्यालय पत्रांक 741 / वि0वि0खं0(पि0)CGRF दिनांक 07 जून 2023 को मंच को प्रेषित किया। विपक्षी ने अपने जवाब में मंच को अवगत कराया कि उक्त शिकायत का निराकरण विभाग द्वारा किया जाएगा। साथ ही विपक्षी ने लिखा कि माननीय UERC(Guidelines for Appointment of Member and Procedure to be followed by the forum for Redressal of Grievances of the consumers) Regulations, 2019 के Chapter 3 के बिंदु संख्या 3.1 "Jurisdiction of Forum" के उप बिंदु (2) से इतर है। अतः उक्त प्रकरण माननीय उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। विपक्षी ने अपने जवाब में मंच को प्रस्तुत प्रकरण में यह भी अवगत कराया कि कार्यालय पत्रांक 724 / वि0वि0ख0(पि0) / CGRF, दिनांक 05.06.2023 के माध्यम से प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु उपखंड अधिकारी विद्युत वितरण उपखंड, पिथौरागढ़ एवं सम्बंधित अवर अभियंता को निर्देशित किया गया है। उक्त आधार पर विपक्षी ने वाद निरस्त करने का अनुरोध किया है।

इस पर मंच ने कार्यालय पत्रांक 115 / उ0शि0नि0मं0 / पिथौरागढ़ दिनांक 16.06.2023 के माध्यम से विपक्षी के जवाब से अवगत कराते हुए अपनी शिकायत के समर्थन में 19.06.2023 तक लिखित और मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय दिया। इस संबंध में शिकायतकर्ता को मंच ने दूरभाष और सोशल मीडिया (व्हाट्सएप मैसेज) से भी विपक्षी की कार्यवाही से अवगत कराया गया।

मंच द्वारा तय तिथि पर विपक्षी को पुनः अपनी शिकायत के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा। इस पर शिकायतकर्ता ने मामले में आंशिक संतुष्टि जाहिर करते हुए अपनी शिकायत का पुनः दोहराव किया। चूंकि मामला विद्युत आपूर्ति और गुणवत्ता से जुड़ा है, ऐसे में मंच ने उक्त प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनना जरूरी समझा और मामले में 26.06.2023 को सुनवाई की तिथि तय की। इसकी सूचना विपक्षी और परिवादी को कार्यालय पत्रांक 145/उ0शि0नि0मं0/पिथौरागढ़, दिनांक 24.06.2023 के माध्यम से दी गई।

मंच में आज मामले में सुनवाई के दौरान विपक्षी उपस्थित। परिवादी अनुपस्थित। परिवादी ने दूरभाष से अवगत कराया कि वह सुनवाई में आ रहा था कि रास्ते बिजली विभाग के जेई और लाइनमैन का फोन आया कि आज उनके क्षेत्र में लॉपिंग चॉपिंग के लिए आ रहे हैं, जिस कारण वह व्यक्तिगत मंच के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया है। इस पर मंच ने परिवादी को वर्चुअल (वीडियो कॉलिंग) माध्यम से सुना। इस दौरान परिवादी को विपक्षी की कार्यवाही से अवगत कराया गया। जिस पर परिवादी ने मंच से कहा कि आज दिन तक क्षेत्र में लॉपिंग चॉपिंग नहीं की गई। बारिश का सीजन आने से अब विद्युत आपूर्ति बाधित रहने की समस्या बनी रहेगी। परिवादी ने मंच से अनुरोध किया कि यदि समय पर उनकी समस्या का निदान किया जाए तो विद्युत आपूर्ति सुचारू रहेगी। जवाब में विपक्षी विभाग की तरफ से अधिशासी अभियंता ने कथन किया कि उपखंड अधिकारी को समय पर क्षेत्र में लोपिंग चॉपिंग के निर्देश दिए जा चुके हैं। विभाग रेगुलेशन और भारतीय विद्युत अधिनियम के तहत परिवादी की समस्या का समाधान समय पर कर मंच को अवगत करा देगा।

मंच द्वारा सुनवाई के दौरान उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। प्रस्तुत परिवाद परिवादी द्वारा गांव में विद्युत लाइन को छूने वाले पेड़ों से आपूर्ति बाधित होने एवं विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में कमी आने के संदर्भ में योजित किया गया। ऐसे में विपक्षी विभाग का यह कथन पूरी तरह से गलत है कि रेगुलेशन के अनुसार परिवाद इस मंच के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यहां मंच का मत है कि माननीय UERC(Guidelines for Appointment of Member and Procedure to be followed by the forum for Redressal of Grievances of the consumers) Regulations, 2019 के नियम 3.1(2) में स्पष्ट है कि मंच केवल उन शिकायतों पर विचार करेगा जो इन विनियमों के विनियम 1.2 के उप विनियम (1) (डी) के अंतर्गत आती हैं। रेगुलेशन के अध्ययन से साफ है कि उप विनियम (1) (D) में लिखा गया कि "complaint" means a letter or application filed with the forum seeking redressal of grievances concerning the supply of electricity----है, जिसे सुनने का अधिकार इस मंच के पास है। विपक्षी विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि वह उपभोक्ताओं को गुणवत्ता पूर्ण विद्युत आपूर्ति देना सुनिश्चित करें। ऐसे में परिवादी की शिकायत सुचारू एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति से जुड़ी होने के चलते स्वीकार की जाती है। परिवाद में निम्न आदेश दिए जाते हैं।

आदेश

परिवाद द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार में अपील कर सकते हैं।

(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य तकनीकी
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

(संतोष भट्ट)
सदस्य उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
132 K.V Sub-Station Campus, Bhadelwara
Pithoragarh – 262501
E-mail - cgrfpithoragarh@gmail.com
Phon. No – 05964-297743

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
132 के0वी0 उपसंस्थान परिसर
भदेलवाड़ा, पिथौरागढ़ – 262501
दूरभाष – 05964– 297743

वाद संख्या – 221/2023–24

दिनांक 11.07.2023

श्री संदीप गिरी s/o स्व0 श्री खड़क गिरी,
उप प्रधान ग्राम पंचायत – लेलू,
वि0ख0 विण, जिला – पिथौरागढ़।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता, उ0पा0का0लि0
विद्युत वितरण खंड पिथौरागढ़।

विपक्षी

कोरम

आर0एस0 गुंज्याल — तकनीकी सदस्य
संतोष भट्ट — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

पत्रावली प्रस्तुत। परिवादी श्री संदीप गिरी पुत्र स्व0 श्री खडक सिंह गिरी उप प्रधान ग्राम पंचायत लेलू, पो वड्डा, जिला पिथौरागढ़ ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के वड्डा में आयोजित शिविर में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी ग्राम पंचायत लेलू जंनपद की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। गांव में विद्युत आपूर्ति हेतु पुराने समय से नंगी तारें लगी हुई हैं। जिस कारण बारिश आदि के समय शॉट सर्किट होने से आपूर्ति बाधित हो जाती है। उनके द्वारा पूर्व में भी इस सम्बंध में विभाग को मौखिक/लिखित रूप से सूचना दी गई थी। परिवादी ने उक्त समस्या के निदान हेतु पुरानी तारों की जगह एबी0 (AB) केबिल लगवाने के साथ ही उक्त समस्या का समाधान करने का अनुरोध किया है। मंच ने उक्त शिकायत को वाद के रूप में दर्ज कर कार्यालय पत्रांक 80/उ0शि0नि0मं0, पिथौरागढ़ दिनांक 29.05.2023 को आवश्यक कार्यवाही हेतु विपक्षी को नोटिस जारी कर कृत कार्यवाही से मंच को अवगत कराने को कहा। विपक्षी ने तय समय से पहले अपना जवाब कार्यालय पत्रांक 742/वि0वि0ख0, पिथौरागढ़, CGRF दिनांक 07 जून 2023 को मंच को प्रेषित किया। विपक्षी ने अपने जवाब में मंच को अवगत कराया कि उक्त शिकायत का निराकरण विभाग द्वारा किया जाएगा। साथ ही विपक्षी ने लिखा कि माननीय UERC (Guidelines for Appointment of Member and Procedure to be followed by the forum for Redressal of Grievances of the consumers) Regulations, 2019 के Chapter 3 के बिंदु संख्या 3.1 "Jurisdiction of Forum" के उप बिंदु (2) से इतर है। अतः उक्त प्रकरण माननीय उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। विपक्षी ने अपने जवाब में मंच को प्रस्तुत प्रकरण में यह भी अवगत कराया कि कार्यालय पत्रांक 725/वि0वि0खं0(पि0)/CGRF, दिनांक 05 जून 2023 के माध्यम से प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु उपखंड अधिकारी विद्युत वितरण उपखंड, पिथौरागढ़ एवं सम्बंधित अवर अभियंता को निर्देशित किया गया है। उक्त आधार पर विपक्षी ने वाद निरस्त करने का अनुरोध किया है।

इस पर मंच ने कार्यालय पत्रांक 117/उ0शि0नि0मं0/पिथौरागढ़ दिनांक 16.06.2023 के माध्यम से विपक्षी के जवाब से अवगत कराते हुए अपनी शिकायत के समर्थन में 19.06.2023 तक लिखित और मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय दिया। इस संबंध में शिकायतकर्ता को मंच ने दूरभाष और सोशल मीडिया (व्हाट्सएप मैसेज) से भी विपक्षी की कार्यवाही से अवगत कराया गया।

मंच ने तय तिथि पर विपक्षी को पुनः अपनी शिकायत के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा। इस पर शिकायतकर्ता ने मामले में आंशिक संतुष्टि जाहिर करते हुए अपनी शिकायत का पुनः दोहराव किया। चूंकि मामला विद्युत आपूर्ति और गुणवत्ता से जुड़ा है, ऐसे में मंच ने उक्त प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनना जरूरी समझा और मामले में 26.06.2023 को सुनवाई की तिथि तय की। इसकी सूचना विपक्षी और परिवादी को कार्यालय पत्रांक 144/उ0शि0नि0मं0/पिथौरागढ़, दिनांक 24.06.2023 के माध्यम से दी गई।

मंच में आज मामले में सुनवाई के दौरान विपक्षी उपस्थित, परिवादी ने व्यस्तता के चलते दूरभाष पर सुनने का अनुरोध किया, स्वीकार किया गया। मंच ने परिवादी को वर्चुअल (वीडियो कॉलिंग) माध्यम से सुना। इस दौरान परिवादी को विपक्षी की कार्यवाही से अवगत कराया गया। जिस पर परिवादी ने मंच से फिर अनुरोध किया कि समय पर उनकी समस्या का निदान किया जाए। जवाब में विपक्षी विभाग की तरफ से अधिशासी अभियंता ने कथन किया कि रेगुलेशन और भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के तहत परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। मंच द्वारा सुनवाई के दौरान उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। प्रस्तुत परिवाद परिवादी द्वारा गांव में नंगी विद्युत तारें बदलकर एबी केबिल लगवाने के संदर्भ में योजित किया गया। उक्त कार्य भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन गठित The works of Licensee Rules, 2006 में निहित नियमों के अंतर्गत किये जाने का प्रावधान है। जिसके अंतर्गत लाईन बिछाने/लाईन शिफ्टिंग के सम्बंध में आदेश करने का अधिकार केवल जिला मजिस्ट्रेट अथवा प्राधिकृत अधिकारी को ही प्राप्त है, जिनके द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध रिवीजन की सुनवाई का अधिकार भी सम्बंधित आयोग को ही है। रेगुलेशन के अनुसार इस मंच को इस सम्बंध में कोई आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है। साथ ही माननीय UERC (Guidelines for Appointment of Member and Procedure to be followed by the forum for Redressal of Grievances of the consumers) Regulations, 2019 के नियम 3.1(5) के तहत भी इस मंच को विद्युत लाईन, पोल और उपकरण शिफ्ट किये जाने सम्बंधी मामलों को सुनने का अधिकार इस मंच के पास नहीं है। लेकिन परिवाद में परिवादी ने विद्युत आपूर्ति बाधित होने का जिक्र किया है, जो कि शिकायत रेगुलेशन के Chapter 1.2 के 1(D) में "Supply of Electricity" से नाता रखती है। ऐसे में परिवादी की शिकायत सुचारू एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति से जुड़ी होने के चलते आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। परिवाद में निम्न आदेश दिए जाते हैं।

आदेश

परिवादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग परिवादी को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भी विद्युत लोकपाल, 80 वसन्तविहार विहार में अपील कर सकते हैं।

(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य तकनीकी
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

(संतोष भट्ट)
सदस्य उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
132 K.V Sub-Station Campus, Bhadelwara
Pithoragarh – 262501
E-mail - cgrfpithoragarh@gmail.com
Phon. No – 05964-297743

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
132 के0वी0 उपसंस्थान परिसर
भदेलवाड़ा, पिथौरागढ़ – 262501
दूरभाष – 05964– 297743

वाद संख्या – 222 / 2023–24 दिनांक 11.07.2023

श्रीमती गोदावरी चन्द,
ग्राम प्रधान मूनाकोट,
जिला – पिथौरागढ़। परिवादी

बनाम्

अधिशासी अभियंता, उ0पा0का0लि0
विद्युत वितरण खंड पिथौरागढ़। विपक्षी

कोरम

आर0एस0 गुंज्याल तकनीकी सदस्य
संतोष भट्ट उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

पत्रावली प्रस्तुत। परिवादी श्रीमती गोदावरी चन्द ग्राम प्रधान मूनाकोट जिला पिथौरागढ़ ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच पिथौरागढ़ के वड्डा में आयोजित कैम्प में उपस्थित होकर एक शिकायती पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने लिखित कथन किया कि ग्राम पंचायत मूनाकोट के किल्ल तोक में वोल्टेज समस्या आ रही है। ट्रांसफार्मर की हालत काफी खराब हो चुकी है, लोगों को लो–वोल्टेज से जूझना पड़ता है। साथ ही निवेदन किया है कि उक्त ट्रांसफार्मर को बदलने का कष्ट करें। ताकि लोगों की समस्या का निराकरण हो सके। किल्ल तोक में 35 परिवार निवास करते है। अतः अतिशीघ्र इसमें आवश्यकीय कार्यवाही करने का कष्ट करें। उक्त शिकायत को वाद के रूप में दर्ज कर विपक्षी विभाग को कार्यालय पत्रांक 81 / उ0शि0नि0मं0 / पिथौ0, दिनांक 29.05.2023 को कागज संख्या 4 के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु 10 कार्यदिवस का समय देते हुए नोटिस जारी किया गया। नोटिस के क्रम में विपक्षी विभाग ने अपना उत्तर कार्यालय पत्रांक 756 / वि0वि0ख0(पि0) / CGRF दिनांक 08.06.2023 कागज संख्या 5 प्रस्तुत कर अवगत कराया कि, शिकायतकर्ता का यह कहना गलत है कि ग्राम पंचायत मूनाकोट के अन्तर्गत लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। दिनांक 06.06.2023 को प्रातः 07:00 बजे ग्राम पंचायत मूनाकोट के किल्ल तोक में उपभोक्ता श्री कैलाश चन्द पुत्र श्री चन्द्री चन्द के परिसर में स्थापित मापक की जांच की गयी जिसमें वोल्टेज नियमानुसार 232 वोल्ट पायी गयी। साथ ही शिकायतकर्ता के द्वारा विपक्षी को दिनांक 08.06.2023 को अपने पत्र के माध्यम से विभाग द्वारा शिकायत का निराकरण किये जाने के फलस्वरूप कृत कार्यवाही से सन्तुष्ट होने सम्बन्धी पत्र भी प्रस्तुत किया। जिसकी छायाप्रति व शिकायतकर्ता के परिसर में स्थापित मीटर में प्रवाहित वोल्टेज की छायाप्रति विपक्षी विभाग ने अपने उत्तर के साथ क्रमशः कागज संख्या 6/1 लगायत 6/2 संलग्न कर प्रस्तुत की। तत्पश्चात् परिवादी को विपक्षी विभाग के उत्तर से अवगत कराते हुए मंच द्वारा कार्यालय पत्रांक 112 / उ0शि0नि0मं0 / पिथौ0 दिनांक 16.06.2023 के माध्यम से अपनी शिकायत के समर्थन में लिखित / मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 19.06.2023 तक का समय दिया गया। नियत तिथि को परिवादी का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं, न्यायहित में परिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु एक ओर अवसर दिया गया तथा पत्रावली वास्ते दिनांक 28.06.2023 की तिथि नियत की गयी। नियत तिथि को परिवादी द्वारा लिखित कथन किया गया

कि ग्राम पंचायत मूनाकोट के किल्ल तोक में लो वोल्टेज की समस्या के विषय में शिकायत की गयी थी। जिसे विभाग द्वारा सही कर दिया गया है। अभी किल्ल तोक में लो वोल्टेज की समस्या नहीं है। वह विभाग के कार्य से संतुष्ट है। ऐसे में वाद को लम्बित रखने का कोई औचित्य नहीं है। उक्त आधार पर मामले में निम्न आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

प्रस्तुत वाद (वाद संख्या 222/2023-24) में विपक्षी ने परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने व परिवादी द्वारा भी संतुष्टि जाहिर करने के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। उभयपक्ष एक दूसरे से वाद को लेकर किसी भी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट न होने पर परिवादी 30 दिनो के भीतर विद्युत लोकपाल 80, वसन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य तकनीकी
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

(संतोष भट्ट)
सदस्य उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
132 K.V Sub-Station Campus, Bhadelwara
Pithoragarh – 262501
E-mail - cgrfpithoragarh@gmail.com
Phon. No – 05964-297743

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
132 के०वी० उपसंस्थान परिसर
भदेलवाड़ा, पिथौरागढ़ – 262501
दूरभाष – 05964– 297743

दिनांक 18.07.2023

वाद संख्या – 01/2023–24

श्रीमती माधवी देवी,
ग्राम – सिमल्टा (थामकुण्ड),
जिला – पिथौरागढ़।   परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता, उ०पा०का०लि०   विपक्षी
विद्युत वितरण खंड, पिथौरागढ़।

कोरम

आर०एस० गुंज्याल   तकनीकी सदस्य
संतोष भट्ट   उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

पत्रावली प्रस्तुत। परिवादी श्रीमती माधवी देवी निवासी ग्राम सिमल्टा, थामकुण्ड, जिला पिथौरागढ़ ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कार्यालय में उपस्थित होकर शिकायत दर्ज कराई कि उनके नाम विद्युत कनेक्शन संख्या PT11351142127 है, जिसका बिल अधिक आ रहा है। ज्यादा बिल जमा करने में वह असमर्थ है। वह पुराने बिल का भुगतान कर चुकी है। उनका बिल पहले 250 से 300 रुपये आता था, जो अब तीन से चार गुना अधिक आ रहा है। परिवादी ने मंच से उक्त शिकायत का समाधान करने का अनुरोध किया है। मंच ने शिकायत को परिवाद के रूप में दर्ज कर कार्यालय पत्रांक 116/उ०शि०नि०मं०/पिथौरागढ़ दिनांक 16.06.2023 के माध्यम से विपक्षी विभाग को नोटिस जारी कर कृत कार्यवाही से मंच को अवगत कराने को कहा गया। इस पर विपक्षी ने कार्यालय पत्रांक 1001/वि०वि०ख०(पि०)/cgrf दिनांक 27.06.2023 को अपना जवाब मंच को प्रेषित कर लिखित कथन किया कि उपभोक्ता श्रीमती माधवी देवी को विद्युत कनेक्शन 14.08.2008 को निर्गत किया गया था। उपभोक्ता का मीटर दिनांक 15.03.2023 को बदला गया था, जिसकी ऑनलाइन प्रविष्टि दिनांक 17.06.2023 को की गई। उपभोक्ता को पुराने मीटर द्वारा निर्गत अंतिम यूनिट के बिल की तिथि (12.03.2022 से मीटर बदलने की तिथि 15.03.2023) एवं मीटर बदलने की तिथि के पश्चात (16.03.2023 से अंतिम बिल निर्गत तिथि 15.05.2023) तक के बिलों को मैनुअल संशोधन कर उपभोक्ता के बिल में रुपये 546.00 का समायोजन दिया जा चुका है, जिसके उपरांत उपभोक्ता के बिल की अवशेष धनराशि रुपये 199.00 है, जो उपभोक्ता आवेदक द्वारा देय है। विपक्षी ने कथन किया कि उपरोक्त वाद संचित रीडिंग (Accumulated Reading) होने का वाद है। अतः उपरोक्त प्रकरण के समान प्रकरणों पर विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा भी वितरण कम्पनियों के पक्ष में निर्णय निर्गत किये जाते रहे हैं। इसके प्रमाण के रूप में विपक्षी ने अलग अलग न्यायालय के तीन प्रकरणों का उल्लेख अपने जवाब में किया है। साथ ही माननीय उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत बिल भुगतान एवं बकाया धनराशि को लेकर विनियम 2020 में दिए गए दिशा निर्देशों का भी जिक्र किया है। विपक्षी ने उक्त तथ्यों के आलोक में वाद को खारिज करने का अनुरोध मंच से किया है।

इस पर मंच द्वारा कार्यालय पत्रांक 185/उ०शि०नि०मं०/पिथौरागढ़, दिनांक 30.06.2023 के माध्यम से परिवादी को विपक्षी के जवाब से अवगत कराते हुए अपनी शिकायत के क्रम में लिखित और मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय

दिया। जिस पर तय तिथि को परिवादी ने अपने विद्युत बिलों के सापेक्ष धनराशि रुपये 1870.00 की ऑनलाइन पेमेंट की रसीद के साथ संतुष्टि पत्र मंच को प्रेषित किया है। संतुष्टि पत्र में परिवादी ने लिखित कथन किया कि उन्होंने बिल जमा कर दिया है और वह पूर्ण रूप से संतुष्ट है। इस पर मंच ने पत्रावली में पाया कि परिवादी ने बिलों के सापेक्ष रुपये 1870.00 की धनराशि जमा की है, जबकि बिल राशि रुपये 199.00 शेष है। इस पर विपक्षी को कार्यालय पत्रांक 196/उ0शि0नि0मं0/पिथौरागढ़ दिनांक 11.07.2023 के माध्यम से बिल की स्थिति स्पष्ट करने को कहा इस पर विपक्षी ने मंच को मौखिक रूप में अवगत कराया कि परिवादी ने अलग अलग बिल रुपये 778.00 और रुपये 1092.00 के बिल के सापेक्ष 1870 रुपये जमा किये हैं। जबकि तीसरे बिल रुपये 745.00 में से विभाग द्वारा संशोधित बिल में रुपये 546.00 का एडजस्टमेंट के बाद परिवादी की तरफ रुपये 199.00 अवशेष रहता है।

मंच द्वारा पत्रावली का सम्यक परीक्षण कर उपलब्ध साक्ष्यों का गहन अध्ययन किया। चूंकि विपक्षी ने परिवादी का बिल संशोधित कर रुपये 546.00 का समायोजन दे दिया है। इस पर परिवादी ने भी संतुष्टि जाहिर की है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद को लम्बित रखा जाना उचित नहीं है। परिवाद में मंच निम्न आदेश पारित करता है।

आदेश

प्रस्तुत वाद (वाद संख्या 01/2023-24) में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को प्रेषित गलत बिल को संशोधित कर नियमानुसार समायोजन (एडजस्टमेंट) दे दिया है। इस आधार पर परिवाद निस्तारित किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को भविष्य में वास्तविक खपत का बिल जारी करें। उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी भी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट न होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं। पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

(आर0एस0 गुन्ज्याल)
सदस्य तकनीकी
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

(संतोष भट्ट)
सदस्य उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
132 K.V Sub-Station Campus, Bhadelwara
Pithoragarh – 262501
E-mail - cgrfpithoragarh@gmail.com
Phon. No – 05964-297743

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
132 के०वी० उपसंस्थान परिसर
भदेलवाड़ा, पिथौरागढ़ – 262501
दूरभाष – 05964– 297743

वाद संख्या – 02 / 2023–24 दिनांक 14.07.2023

श्री नितेश बसेड़ा s/o स्व0 देवराज सिंह,
पता – पी0एल0वी0 / स्वयं सेवक
जिला विधिक सेवा केंद्र देवलथल,
जिला – पिथौरागढ़। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता, उ0पा0का0लि0
विद्युत वितरण खंड, पिथौरागढ़। विपक्षी

कोरम

आर0एस0 गुंज्याल तकनीकी सदस्य
संतोष भट्ट उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

पत्रावली प्रस्तुत। परिवादी श्री नितेश बसेड़ा s/o श्री देवराज सिंह, पता – पी0एल0वी0 / स्वयं सेवक जिला विधिक सेवा केंद्र देवलथल, जिला – पिथौरागढ़ ने मंच को ई–मेल माध्यम से एक शिकायती पत्र प्रेषित कर लिखित कथन किया कि उन्होंने बी0पी0एल0 विद्युत कनेक्शन हेतु 3 माह पूर्व आवेदन कर दिया था। लेकिन अभी तक उनको कनेक्शन नहीं मिल पाया है। परिवादी ने निवेदन किया है कि उसे विद्युत कनेक्शन दिए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी जाए। मंच ने उक्त शिकायत को वाद के रूप में दर्ज कर कार्यालय पत्रांक 131 / उ0शि0नि0मं0 / पिथौरागढ़, दिनांक 19.06.2023 के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु विपक्षी को नोटिस जारी कर कृत कार्यवाही से मंच को अवगत कराने को कहा। नियत तिथि को विपक्षी का जवाब प्रस्तुत नहीं, न्यायहित में विपक्षी विभाग को जवाब प्रस्तुत करने हेतु एक अन्य अवसर और प्रदान कर पत्रावली वास्ते जवाब विपक्षी दिनांक 27.06.2023 की तिथि नियत की गयी। नियत तिथि को विपक्षी विभाग ने कार्यालय पत्रांक 997 / वि0वि0ख0(पि0) / CGRF दिनांक 26.06.2023 के माध्यम से उत्तर प्रेषित कर अवगत कराया कि परिवादी ने दिनांक 11.01.2023 को विद्युत संयोजन चाहने हेतु आवेदन किया गया। दिनांक 13.01.2023 को उक्त आवेदन को Approve कर दिया गया था तथा आवेदक को Security Deposit एवं Service Line Charge की धनराशि कुल रू0 200.00 जमा किये जाने हेतु Consumer Payment Intimation प्रेषित किया गया। शिकायतकर्ता/आवेदक द्वारा आज दिनांक तक विभाग में उक्त धनराशि जमा नहीं की गयी है। उक्त शिकायत पर कार्यवाही शिकातयकर्ता के स्तर पर लम्बित है। साथ ही उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच से अनुरोध किया है कि उक्त वाद को निरस्त करने का कष्ट करें। इसी क्रम में मंच द्वारा कार्यालय पत्रांक 186 / उ0शि0नि0मं0 / पिथौरागढ़, दिनांक 30.06.2023 के माध्यम से विपक्षी के जवाब से अवगत कराते हुए परिवादी को अपनी शिकायत के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय दिया। इस दौरान परिवादी ने सोशल मीडिया (व्हाटसएप) माध्यम से अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर लिखित कथन किया कि उनके द्वारा की गयी शिकायत का निवारण हो गया है, तथा वह विभाग की कार्यवाही से संतुष्ट हैं।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि परिवादी ने बी0पी0एल0 कनेक्शन मिलने में देरी के समाधान को लेकर वाद योजित किया है। इस संबंध में विपक्षी ने सभी औपचारिकताऐं पूरी होने पर आवेदन स्वीकृत करते हुए परिवादी को बी0पी0एल0 श्रेणी के लिए अनुमन्य धनराशि जमा करने की सूचना दी गयी। लेकिन करीब पांच माह तक परिवादी ने उक्त धनराशि जमा नहीं की। हांलाकि विपक्षी विभाग की तरफ से परिवादी को किस माध्यम से सूचना प्रेषित की गयी। इसका कोई पुख्ता प्रमाण न तो विपक्षी और न ही परिवाद मंच के समक्ष प्रस्तुत कर पाया। यहां यह भी स्पष्ट है कि जब 18.06.2023 को परिवादी ने प्रस्तुत मामले की शिकायत मंच में की गयी तब जाकर विपक्षी ने परिवादी को बी0पी0एल0 श्रेणी का कनेक्शन जारी किया गया। मंच का मत है कि विपक्षी और परिवादी भविष्य में कनेक्शन से जुड़ी सभी जानकारी उचित माध्यम से एक दूसरे को दें, ताकि समस्या का ससमय समाधान हो सकें उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर स्पष्ट है कि परिवादी की शिकायत का समाधान विपक्षी द्वारा कर दिया गया है। परिवादी ने भी अपनी संतुष्टि जाहिर कर दी है। ऐसे में वाद को लम्बित रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। उक्त आधार पर वाद निस्तारित किए जाने योग्य है, तथा निम्न आदेश पारित किया जाता है :—

आदेश

प्रस्तुत वाद (वाद संख्या 02/2023—24) में परिवादी की शिकायत का निराकरण विपक्षी द्वारा कर दिए जाने व परिवादी द्वारा भी इसकी पुष्टि करने के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी भी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट न होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं। **पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।**

(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ

(संतोष भट्ट)
सदस्य उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
132 K.V Sub-Station Campus, Bhadelwara
Pithoragarh – 262501
E-mail - cgrfpithoragarh@gmail.com
Phon. No – 05964-297743

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
132 के०वी० उपसंस्थान परिसर
भडेलवाड़ा, पिथौरागढ़ – 262501
दूरभाष – 05964– 297743

दिनांक 15.07.2023

वाद संख्या – 03 / 2023–24

श्री नरेन्द्र सिंह महर s/o श्री चंचल सिंह,
ग्राम – बमडोली, तह0 देवलथल
जिला – पिथौरागढ़। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता, उ0पा0का0लि0
विद्युत वितरण खंड, पिथौरागढ़। विपक्षी

कोरम

आर0एस0 गुंज्याल तकनीकी सदस्य
संतोष भट्ट उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

पत्रावली प्रस्तुत। परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह महर s/o श्री चंचल सिंह, ग्राम – बमडोली, तह0 देवलथल, जिला – पिथौरागढ़ ने मंच को ई–मेल माध्यम से एक शिकायती पत्र प्रेषित कर लिखित कथन किया कि उन्होंने बी0पी0एल0 विद्युत कनेक्शन हेतु 3 माह पूर्व आवेदन कर दिया था। लेकिन अभी तक उन्हें कनेक्शन नहीं मिल पाया है। परिवादी ने निवेदन किया है कि उसे विद्युत कनेक्शन दिए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी जाए। मंच ने उक्त शिकायत को वाद के रूप में दर्ज कर कार्यालय पत्रांक 132 / उ0शि0नि0मं0 / पिथौरागढ़, दिनांक 19.06.2023 के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु विपक्षी को नोटिस जारी कर कृत कार्यवाही से मंच को अवगत कराने को कहा। नियत तिथि को विपक्षी का जवाब प्रस्तुत नहीं, न्यायहित में विपक्षी विभाग को जवाब प्रस्तुत करने हेतु एक अन्य अवसर और प्रदान कर पत्रावली बास्ते जवाब विपक्षी दिनांक 27.06.2023 की तिथि नियत की गयी। नियत तिथि को विपक्षी विभाग ने कार्यालय पत्रांक 1028 / वि0वि0ख0(पि0) / CGRF दिनांक 30.06.2023 के माध्यम से उत्तर प्रेषित कर अवगत कराया कि प्रार्थी ने विद्युत संयोजन चाहने हेतु उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, पिथौरागढ़ के कार्यालय में दिनांक 25.01.2023 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। आवेदक द्वारा मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि उन्हें BPL Connection चाहिए। परन्तु आवेदक द्वारा आवेदन के साथ BPL क्रमांक की प्रतिलिपि कार्यालय में उपलब्ध नहीं करायी गयी। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं लाईनमैन की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 13.04.2023 को ए0पी0एल0 श्रेणी पर रजिस्ट्रेशन (संख्या 472130423013) कर दिनांक 17.04.2023 को संयोजन स्वीकृत किया गया। परन्तु वांछित धनराशि जमा न किये जाने के फलस्वरूप संयोजन निर्गत नहीं किया जा सका। आवेदक द्वारा विद्युत संयोजन ए0पी0एल0 से निर्गत न कर बी0पी0एल0 श्रेणी में करने का पुनः अनुरोध किया गया। तत्पश्चात् आवेदक द्वारा BPL क्रमांक प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त पूर्व में ए0पी0एल0 श्रेणी में पंजीकृत आवेदन को निरस्त कर दिनांक 21.06.2023 को बी0पी0एल0 श्रेणी के अनुसार आवेदन पंजीकृत (संख्या 472210623001) किया गया। आवेदक द्वारा दिनांक 24.06.2023 को Security Deposit एंव Service line Charge की धनराशि कुल रू0 200.00 विभाग में जमा किये जाने के उपरान्त दिनांक 24.06.2023 को विद्युत संयोजन निर्गत कर दिया गया है। साथ ही विपक्षी ने उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच से अनुरोध किया है कि उक्त वाद को निरस्त करने का कष्ट करें। इसी क्रम में मंच द्वारा कार्यालय पत्रांक 189 / उ0शि0नि0मं0 / पिथौरागढ़, दिनांक 07.07.2023 के माध्यम से विपक्षी के जवाब से अवगत कराते हुए परिवादी को अपनी शिकायत के समर्थन में

साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय दिया। इस दौरान परिवादी ने सोशल मीडिया (व्हाट्सएप) माध्यम से अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर लिखित कथन किया कि उन्होंने बी0पी0एल0 विद्युत कनेक्शन चाहने हेतु आवेदन किया था। जो उन्हें मिल चुका है, एवं उनके आवास पर लग चुका है। उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर स्पष्ट है कि परिवादी की शिकायत का समाधान विपक्षी द्वारा कर दिया गया है। ऐसे में वाद को लम्बित रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। उक्त आधार पर वाद निस्तारित किए जाने योग्य है, तथा निम्न आदेश पारित किया जाता है :–

आदेश

प्रस्तुत वाद (वाद संख्या 03/2023–24) में विपक्षी विभाग ने परिवादी की शिकायत का निराकरण कर दिए जाने के आधार पर प्रस्तुत वाद निस्तारित किया जाता है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह उपभोक्ताओं को समय पर माननीय विद्युत नियामक आयोग के दिशा निर्देशों के अनुपालन में सही श्रेणी में संयोजन निर्गत करें। उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी भी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट न होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं। **पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।**

(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य तकनीकी
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

(संतोष भट्ट)
सदस्य उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
132 K.V Sub-Station Campus, Bhadelwara
Pithoragarh – 262501
E-mail - cgrfpithoragarh@gmail.com
Phon. No – 05964-297743

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
132 के०वी० उपसंस्थान परिसर
भदेलवाड़ा, पिथौरागढ़ – 262501
दूरभाष – 05964– 297743

वाद संख्या – 184 / 2023–24

दिनांक 10.08.2023

श्री कृष्ण भट्ट,
ग्राम व पो० – देवलथल
जिला – पिथौरागढ़।

परिवादी

बनाम्

अधिशासी अभियंता, उ०पा०का०लि०
विद्युत वितरण खंड पिथौरागढ़।

विपक्षी

कोरम

मनोज ओझा — न्यायिक सदस्य

संतोष भट्ट — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

पत्रावली प्रस्तुत। परिवादी श्री कृष्ण भट्ट, ग्राम व पो० – देवलथल, जिला पिथौरागढ़ ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के देवलथल में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर लिखित शिकायत दर्ज कराई कि उनका कनेक्शन नम्बर PT14147046907 है। उनके द्वारा सही बिल का भुगतान किया गया है। मेरा बिल उपभोग से अधिक आ रहा है। जिसका भुगतान करने में वह असमर्थ है। साथ ही निवेदन किया कि मेरी शिकायत का उचित समाधान करने की कृपा करें। मंच ने उक्त शिकायत को परिवाद के रूप में दर्ज कर कार्यालय पत्रांक 42 / उ0शि0नि0मं0 / पिथौरागढ़ दिनांक 25.05.2023 के माध्यम से विपक्षी विभाग को नोटिस जारी कर कृत कार्यवाही से मंच को अवगत कराने को कहा गया। विपक्षी विभाग ने अपने कार्यालय पत्रांक 693 / वि0वि0ख0(पि0) / CGRF दिनांक 01.06.2023 के माध्यम से अपना उत्तर प्रेषित कर अवगत कराया कि उपभोक्ता श्री कृष्ण पुत्र श्री लक्ष्मी दत्त, ग्राम व पो0 देवलथल (विद्युत संयोजन संख्या PT1/4147/046907) को उनके द्वारा उपभोग की गयी विद्युत की खपत के अनुसार रीडिंग के सही बिल निर्गत किये गये हैं। उपभोक्ता द्वारा दिनांक 16.05.2023 में कुल 8222 रीडिंग तक विद्युत का उपभोग किया गया है। उपभोक्ता की वर्तमान विद्युत बिल की धनराशि रू0 1794.00 अवशेष है, जो कि उपभोक्ता द्वारा देय है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में उक्त वाद को निरस्त करने का अनुरोध विपक्षी विभाग ने मंच से किया है। तत्पश्चात् परिवादी को विपक्षी विभाग के उत्तर से अवगत कराते हुए मंच द्वारा कार्यालय पत्रांक 100 / उ0शि0नि0मं0 / पिथौरागढ़ दिनांक 15.06.2023 के माध्यम से अपनी शिकायत के समर्थन में परिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 17.06.2023 तक का समय दिया गया। नियत तिथि को परिवादी ने अपना कोई भी साक्ष्य मंच के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया, न्यायहित में परिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए एक अवसर और दिया गया तथा पत्रावली वास्ते साक्ष्य शिकायतकर्ता दिनांक 22.06.2023 नियत की गयी। नियत तिथि को भी परिवादी का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं, वाद को सुना जाना आवश्यकीय होने के कारण पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 26.06.2023 को नियत की गयी। जिसकी सूचना उभयपक्षों को कार्यालय पत्रांक 147 / उ0शि0नि0मं0 / पिथौरागढ़ दिनांक 24.06.

2023 के माध्यम से दी गयी। नियत तिथि को उपभपक्ष अनुपस्थित रहे, जिस कारण पत्रावली वास्ते अग्रिम सुनवाई दिनांक 13.07.2023 को नियत की गयी। जिसकी सूचना उभयपक्षों को कार्यालय पत्रांक 190/उ0शि0नि0मं0/पिथौरागढ़ दिनांक 11.07.2023 के माध्यम से दी गयी।

मंच द्वारा नियत तिथि को आज परिवाद में सुनवाई की। इस दौरान परिवादी को दूरभाष माध्यम से सुना गया, तथा विपक्षी विभाग की तरफ से अधिशासी अभियंता उपस्थित हुए। इस दौरान परिवादी ने मंच को दिए गए अपने शिकायती पत्र में लिखित कथनो का दोहराव किया कि उनका बिजली का बिल उपभोग से अधिक आ रहा है। हालांकि विपक्षी विभाग ने मंच के समक्ष प्रस्तुत कंज्यूमर हिस्ट्री प्रस्तुत करते हुए कहा कि परिवादी को मीटर यूनिट के सही रीडिंग एवं खपत के बिल जारी किए गए हैं। इस पर मंच द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद पत्रावाली में मौजूद साक्ष्यों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। मंच द्वारा प्रस्तुत मामले में परिवादी को कहा कि यदि मीटर तेज चलने की शंका है तो परिवादी मीटर शुद्धता जांचने हेतु चेक मीटर के लिए विपक्षी के कार्यालय में नियमानुसार आवेदन कर सकता है। विपक्षी को भी मंच ने निर्देश दिए कि परिवादी यदि चेक मीटर की जांच कराना चाहता है तो विपक्षी परिवादी के परिसर में नियमानुसार चेक मीटर लगवाने तथा दोनों मीटरों की खपत का आंकलन कर परिवादी की समस्या का ससमय समाधान करें। विपक्षी परिवाद को लेकर कृत कार्यवाही से मंच को भी अवगत कराएं। उक्त आधार पर मामले को लम्बित रखने का कोई औचित्य नहीं है। मामले में निम्न आदेश दिए जाते हैं।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद (वाद संख्या 184/2023-24) में यदि परिवादी चेक मीटर सम्बंधी औपचारिकता पूरी करता तो विपक्षी तत्काल परिवादी के मीटर शुद्धता जांचने को नियमानुसार चेक मीटर लगाएं। उक्त आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी भी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(मनोज ओझा)
न्यायिक सदस्य
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

(संतोष भट्ट)
सदस्य उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
132 K.V Sub-Station Campus, Bhadelwara
Pithoragarh – 262501
E-mail - cgrfpithoragarh@gmail.com
Phon. No – 05964-297743

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
132 के०वी० उपसंस्थान परिसर
भदेलवाड़ा, पिथौरागढ़ – 262501
दूरभाष – 05964– 297743

वाद संख्या – 206/2023–24 दिनांक 11.08.2023

श्री जगदीश चन्द्र पाटनी,

ग्राम – मितड़ा पो० – मलान (कनालीछीना)

जिला – पिथौरागढ़। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता, उ०पा०का०लि०

विद्युत वितरण खंड पिथौरागढ़। विपक्षी

कोरम

मनोज ओझा न्यायिक सदस्य

संतोष भट्ट उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

पत्रावली प्रस्तुत। परिवादी श्री जगदीश चन्द्र, ग्राम – मितड़ा पो० – मलान (कनालीछीना) जिला पिथौरागढ़ ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के कनालीछीना में आयोजित शिविर में शिकायत दर्ज कराई कि उनके क्षेत्र में हर 2 माह में बिल वितरीत नहीं हो रहे है। जबकि विभागीय नियमानुसार 2 माह में बिल वितरीत होने चाहिए। हर 4 माह या 6 माह में बिल आने से हमें आर्थिक बोझ पड़ता है। मंच ने उक्त शिकायत को वाद के रूप में दर्ज कर कार्यालय पत्रांक 65/उ०शि०नि०मं०/पिथौरागढ़, दिनांक 29.05.2023 के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु विपक्षी को नोटिस जारी कर कृत कार्यवाही से मंच को अवगत कराने को कहा। नियत तिथि को विपक्षी का जवाब प्रस्तुत न होने पर मंच द्वारा कार्यालय पत्रांक 130/उ०शि०नि०मं०/पिथौ० दिनांक 19.06.2023 के माध्यम से तीन दिन के भीतर प्रकरण पर उत्तर प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। जिस क्रम में विपक्षी विभाग ने कार्यालय पत्रांक 955/वि०वि०ख०(पि०)/CGRF दिनांक 23.06.2023 के माध्यम से उत्तर प्रेषित कर अवगत कराया कि शिकायतकर्ता के द्वारा अपने शिकायती पत्र में विद्युत संयोजन संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। शिकायती पत्र पर उल्लेखित मोबाईल नम्बर 7579067275 एवं नाम के माध्यम से भी विभागीय ऑनलाईन पोर्टल पर सर्च किया गया, परन्तु ग्राम मितड़ा में उक्त नाम से किसी भी व्यक्ति को विद्युत संयोजन निर्गत नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता श्री जगदीश चन्द्र पाटनी से विद्युत संयोजन संख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु दूरभाष पर संपर्क किया गया था। परन्तु शिकायतकर्ता के द्वारा इस कार्यालय को अपना विद्युत संयोजन संख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी है। जिस कारण शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्यवाही नहीं की जा सकी है। इसी क्रम में मंच द्वारा कार्यालय पत्रांक 151/उ०शि०नि०मं०/पिथौरागढ़, दिनांक 26.06.2023 के माध्यम से विपक्षी के जवाब से अवगत कराते हुए परिवादी को अपनी शिकायत के समर्थन में लिखित और मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय दिया। नियत तिथि को परिवादी ने सोशल मीडिया के (व्हाटसएप) माध्यम से उनके द्वारा किये गये विद्युत बिल की भुगतान पावती मंच के समक्ष प्रस्तुत की, साथ ही

लिखित कथन किया कि उनके द्वारा की गयी शिकायत का निराकरण हो चुका है। तत्पश्चात् मंच द्वारा कार्यालय पत्रांक 201/उ0शि0नि0मं0/पिथौरागढ़ दिनांक 12.07.2023 के माध्यम से विपक्षी विभाग को परिवादी द्वारा भेजी गयी भुगतान पावती की छायाप्रति प्रेषित कर, उक्त पावती के आधार पर परिवादी का विवरण व कंज्यूमर हिस्ट्री मंच को प्रेषित करने को कहा गया। जिस क्रम में विपक्षी विभाग ने कार्यालय पत्रांक 1409/वि0वि0ख0(पि0)/CGRF दिनांक 26.07.2023 को पत्र प्रेषित कर अवगत कराया कि परिवादी द्वारा मंच के समक्ष प्रस्तुत की गयी जमा रसीद जो कि उपभोक्ता श्री विशन दत्त पुत्र श्री नन्द राम, ग्राम भितड़ा, पो0 मलान, जिला पिथौरागढ़ विद्युत संयोजन संख्या PT14359014417 (संयोजन निर्गत तिथि 15.03.1983) द्वारा विद्युत बिल की जमा धनराशि की पावती है। साथ ही परिवादी को नियमित रूप से उनके परिसर में जाकर Spot Billing Machine के द्वारा उपभोग की गयी यूनिट के आधार पर सही बिल निर्गत किये गये हैं। परिवादी द्वारा अन्तिम बार दिनांक 25.02.2023 को विद्युत बिल रू0 2500.00 जमा किया गया है, जिसकी ऑनलाईन प्रविष्ठि दिनांक 27.03.2023 को की गयी है, जिसके पश्चात् परिवादी की वर्तमान अवशेष धनराशि रू0 2319.00 है, जो कि उपभोक्ता द्वारा देय है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता के विद्युत संयोजन में मोबाइल नम्बर 7579067275 फीड कर दिया गया है, उपभोक्ता को मैसेज के माध्यम से भी उक्त मोबाईल नम्बर पर विद्युत बिल से सम्बन्धित सूचना प्राप्त होती रहेगी। मंच द्वारा पत्रावलियों का गहन अध्ययन और सम्यक परिशीलन किया गया। पत्रावलियों के अध्ययन से स्पष्ट है कि परिवादी की शिकायत का विपक्षी द्वारा उचित निराकरण कर दिया गया है। साथ ही परिवादी के विद्युत संयोजन में मोबाइल नम्बर भी फीड कर दिया गया है। जिससे उक्त मोबाइल नम्बर पर विद्युत बिल से सम्बन्धित सूचना परिवादी को प्राप्त होती रहेगी। साथ ही इस संबंध में परिवादी ने भी लिखित संतुष्टि पत्र मंच को प्रेषित किया है, जिसमें उन्होंने लिखित कथन किया कि उनकी समस्या का समाधान हो गया है। ऐसे में विपक्षी ने परिवादी की बिल प्राप्त न होने संबंधी समस्या का समाधान कर दिया है। उक्त आधार पर मंच का अभिमत है कि प्रस्तुत वाद निस्तारित किए जाने योग्य है तथा वाद में निम्न आदेश पारित किया जाता है :–

आदेश

प्रस्तुत वाद (वाद संख्या 206/2023–24) में विपक्षी ने परियादी द्वारा की गई शिकायत का निराकरण कर दिए जाने पर वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी भी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं। **पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।**

(मनोज ओझा)
न्यायिक सदस्य
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

(संतोष भट्ट)
सदस्य उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
132 K.V Sub-Station Campus, Bhadelwara
Pithoragarh – 262501
E-mail - cgrfpithoragarh@gmail.com
Phon. No – 05964-297743

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
132 के०वी० उपसंस्थान परिसर
भदेलवाड़ा, पिथौरागढ़ – 262501
दूरभाष – 05964– 297743

वाद संख्या – 04 / 2023–24

दिनांक 09.08.2023

श्री श्याम दत्त जोशी,
ग्राम व पो० – देवलथल
जिला – पिथौरागढ़।

परिवादी

बनाम्

अधिशासी अभियंता, उ०पा०का०लि०
विद्युत वितरण खंड पिथौरागढ़।

विपक्षी

कोरम

मनोज ओझा — न्यायिक सदस्य

संतोष भट्ट — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

पत्रावली प्रस्तुत। परिवादी श्री श्याम दत्त जोशी, ग्राम व पो० – देवलथल, जिला पिथौरागढ़ ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को ई–मेल माध्यम से पत्र प्रेषित कर लिखित शिकायत दर्ज कराई कि उनके मकान में विद्युत विभाग द्वारा 01 अक्टूबर 2022 से 08 अक्टूबर 2022 तक वह हल्द्वानी गया था। उस दौरान बिजली का पोल गिरने की स्थिति मे था, जिसे स्थानान्तर करते समय खम्बे का सपोर्ट वायर मेरे निजी मकान जो निर्माणाधीन है के सरियाओं में बाँध के चले गये। जिसकी गुहार 23 मई 2023 को उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच से किया गया था। उक्त मंच ने मौका मुआयना कर छत की सरियाओं से शीघ्र तार हटाने को कहा गया था। जो अभी तक नहीं हटाये गये है। साथ ही वह स्वयं सेवानिवृत्त सैनिक है एवं दोनों बच्चे सेना में सेवारत होने के कारण घर में कोई नहीं था। साथ ही निवेदन किया है कि शीघ्र ही छत से बँधे तार को हटाने की कृपा करें। मंच ने उक्त शिकायत को परिवाद के रूप में दर्ज कर कार्यालय पत्रांक 184 / उ०शि०नि०मं० / पिथौरागढ़ दिनांक 28.06.2023 के माध्यम से विपक्षी विभाग को नोटिस जारी कर कृत कार्यवाही से मंच को अवगत कराने को कहा गया। विपक्षी विभाग ने अपने कार्यालय पत्रांक 1068 / वि०वि०ख०(पि०) / CGRF दिनांक 01.07.2023 के माध्यम से अपना उत्तर प्रेषित कर अवगत कराया कि उक्त प्रकरण मंच के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया है कि कार्यालय पत्रांक 1060 / वि०वि०ख०(पि०) / CGRF दिनांक 01.07.2023 के माध्यम से प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड पिथौरागढ़ को निर्देशित किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में उक्त वाद को निरस्त करने का अनुरोध विपक्षी विभाग ने मंच से किया है। तत्पश्चात् परिवादी को विपक्षी विभाग के उत्तर से अवगत कराते हुए मंच द्वारा कार्यालय पत्रांक 188 / उ०शि०नि०मं० / पिथौरागढ़ दिनांक 07.07.2023 के माध्यम से अपनी शिकायत के समर्थन में परिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 14.07.2023 तक का समय दिया गया। नियत तिथि

को परिवादी ने ई-मेल माध्यम से अपना साक्ष्य प्रेषित कर लिखित कथन किया कि विद्युत विभाग पिथौरागढ़ द्वारा उनकी शिकायत का समाधान कर दिया गया है, एवं इस संबंध में अब कोई भी शिकायत नहीं है।

.मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। प्रस्तुत परिवाद परिवादी द्वारा उनके मकान की सरिया में विपक्षी द्वारा नियम विरुद्ध लगाई गई बिजली के पोल की स्टे वायर को हटाने के संदर्भ में योजित किया है।

चूंकि उक्त कार्य भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन गठित **The works of Licensee Rules,2006** में निहित नियमों के अंतर्गत किये जाने का प्रावधान है।

जिसके अंतर्गत उपकरण हटाने, लाईन बिछाने, लाईन शिफ्टिंग के सम्बंध में आदेश करने का अधिकार केवल जिला मजिस्ट्रेट अथवा प्राधिकृत अधिकारी को ही प्राप्त है, जिनके द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध रिवीजन की सुनवाई का अधिकार भी सम्बंधित को ही है। रेगुलेशन के अनुसार इस मंच को इस सम्बंध में कोई आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है। साथ ही माननीय UERC(Guidelines for Appointment of Member and Procedure to be followed by the forum for Redressal of Grievances of the consumers) Regulations, 2019 के नियम 3.1(5) के तहत भी इस मंच को विद्युत लाईन, पोल और उपकरण शिफ्ट किये जाने सम्बंधी मामलों को सुनने का अधिकार भी इस मंच के पास नहीं है। चूंकि प्रस्तुत परिवाद में विपक्षी ने नियम विरुद्ध स्टे वायर परिवादी के मकान में पहले लगाई और बाद में परिवादी द्वारा मंच को शिकायत करने पर हटा दी गई। इसकी पुष्टि परिवादी द्वारा परिवाद को लेकर मंच को प्रेषित संतुष्टि पत्र में भी होती है। ऐसे में परिवाद की शिकायत का समाधान हो गया है। परिवाद में निम्न आदेश दिए जाते हैं।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद (वाद संख्या 04/2023-24) में विपक्षी विभाग ने परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने तथा परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी भी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं। **पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।**

(मनोज ओझा)
न्यायिक सदस्य
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

(संतोष भट्ट)
सदस्य उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
132 K.V Sub-Station Campus, Bhadelwara
Pithoragarh – 262501
E-mail - cgrfpithoragarh@gmail.com
Phon. No – 05964-297743

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
132 के०वी० उपसंस्थान परिसर
भदेलवाड़ा, पिथौरागढ़ – 262501
दूरभाष – 05964– 297743

वाद संख्या – 06 / 2023–24 दिनांक 10.08.2023

श्रीमती सरस्वती देवी,
पता – ढुंगाखानी, नियर हाईडिल गेट
जिला – पिथौरागढ़। परिवादी

बनाम्

अधिशासी अभियंता, उ0पा0का0लि0
विद्युत वितरण खंड पिथौरागढ़। विपक्षी

कोरम

मनोज ओझा न्यायिक सदस्य
संतोष भट्ट उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

पत्रावली प्रस्तुत। परिवादी श्रीमती सरस्वती देवी, पता – ढुंगाखानी नियर हाईडिल गेट, जिला पिथौरागढ़ ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में स्वयं उपस्थित होकर एक शिकायती पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें उन्होंने लिखित कथन किया कि उनके विद्युत संयोजन का लोड 2 K.w है, जिस वजह से उनका बिल ज्यादा आ रहा है। परिवादी ने अपने विद्युत संयोजन के लोड को 2 K.w से 1 K.w करने का निवेदन किया है। परिवादी ने अपने शिकायती पत्र के साथ अपने विद्युत बिल की छायाप्रति संलग्न कर मंच में प्रस्तुत की है। मंच ने उक्त शिकायत को परिवाद के रूप में दर्ज कर कार्यालय पत्रांक 236 / उ0शि0नि0मं0 / पिथौरागढ़ दिनांक 25.07.2023 के माध्यम से विपक्षी विभाग को नोटिस जारी कर कृत कार्यवाही से मंच को अवगत कराने को कहा गया। नियत तिथि को विपक्षी विभाग ने अपने कार्यालय पत्रांक 1450 / वि0वि0ख0(पि0) / CGRF दिनांक 28.07.2023 के माध्यम से अपना उत्तर प्रेषित कर अवगत कराया कि उपभोक्ता ने अपने विद्युत संयोजन का विद्युत भार 2 K.w से 1 K.w किये जाने के सम्बन्ध में विभाग में नियमानुसार कोई भी आवेदन नहीं किया है। यदि उपभोक्ता विभाग में विद्युत भार कम किये जाने हेतु आवेदन करते हैं तो तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी। तत्पश्चात् मंच द्वारा परिवादी को विपक्षी विभाग के उत्तर से अवगत कराते हुए कार्यालय पत्रांक 240 / उ0शि0नि0मं0 / पिथौरागढ़ दिनांक 01.08.2023 के माध्यम से, अपने विद्युत संयोजन के लोड को कम करने बावत् नियमानुसार विभाग में आवेदन कर, मंच को अवगत कराने को कहा गया। किन्तु परिवादी ने दिनांक 07.08.2023 को मंच में स्वयं उपस्थित होकर लिखित कथन किया कि उनके द्वारा पूर्व में विद्युत संयोजन के लोड को कम करने बावत् शिकायत मंच में की गई थी। जिस संबंध में उन्हें उक्त शिकायत पर आगे कोई कार्यवाही नहीं करनी है, व विद्युत संयोजन का लोड भी कम नहीं करना है। मंच द्वारा पत्रावली में उपलब्ध पत्रावलियों का सम्यक परिशीलन किया गया। प्रस्तुत परिवाद में परिवादी द्वारा मंच में उपस्थित होकर लिखित कथन किया गया कि उनको उक्त शिकायत पर आगे कोई भी कार्यवाही नहीं करनी है। उक्त आधार पर प्रस्तुत परिवाद खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद (वाद संख्या 06/2023–24) में परिवादी द्वारा उनकी शिकायत पर उन्हें आगे कोई कार्यवाही न किए जाने के लिखित कथन के आधार पर प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संतोष भट्ट)
सदस्य उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़

(मनोज ओझा)
[illegible] सदस्य
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
पिथौरागढ़